प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

संख्या : पीएमईजीपी/नीति /2022-23 दिनांक : 01.06.2022

परिपत्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने कार्यालय ज्ञापन सं. पीएमईजीपी/नीति /09/2021 दिनांक 13 मई 2022 के माध्यम से मौजूदा पीएमईजीपी योजना में कुछ संशोधनों के साथ वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 2025-26 तक पाँच वर्षों के लिए पीएमईजीपी योजना को जारी रखने हेतु, अनुमोदन प्रदान किया है| योजना एवं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज गतिविधियों के संबंध में विस्तृत परिचालन दिशानिर्देशों के साथ संशोधित योजना दिशानिर्देशों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है |

पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल में भी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन किया गया है| वित्तपोषित बैंको सहित सभी कार्यान्वयी अभिकरणों को वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित योजना दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु सूचित किया जाए |

केवीआईसी के सभी राज्य /मंडलीय निर्देशकों से अनुरोध है कि वे संशोधित योजना और परिचालन दिशानिर्देशों को राज्य के सभी हितधारकों के बीच परिचालित करें और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधित पीएमईजीपी योजना दिशानिर्देशों के संबंध में सभी कार्यान्वयी अभिकरणों और बैंकों के साथ संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करें | संशोधित योजना के कार्यान्वयन हेतु पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 01.06.2022 से प्रभावी होंगे |

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है |

संलग्न: यथोपरि |

(एम. राजन बाबू)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी)

प्रति :

1. सभी राज्य/मंडलीय निदेशक , खादी और ग्रामोद्योग आयोग
2. सभी अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य/संघीय राज्य, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड |
3. सभी प्राचार्य सचिव, राज्यों /संघीय राज्य के उद्योग |
4. बैंकों के सभी सीएमडी|
5. सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण |

प्रतिलिपि : सूचनार्थ :

1. संयुक सचिव , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय , नई दिल्ली |
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग |
3. सचिव, आयोग प्रकोष्ठ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग |

4. वित्तीय सलाहकार के विशेष कार्य अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग , मुंबई|
5. निदेशक, सतर्कता खादी और ग्रामोद्योग आयोग , मुंबई |
6. केंद्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में पदस्थ उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी गण |
7. सभी उद्योग /कार्यक्रम निदेश, खादी और ग्रामोद्योग आयोग , मुंबई |
8. निदेशक (सूचना-प्रौद्योगिकी) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त परिपत्र को केवीआईसी/पीएमईजीपी के वेबसाइट पर अपलोड करें |
9. निदेशक (प्रचार) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त परिपत्र को "जागृति " के आगामी अंक में प्रकाशित करें |
10. मास्टर फ़ाइल – रेकॉर्ड हेतु |

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी)

नोट: हिन्दी संस्करण में किसी भी विसंगति की स्थिति में , संबन्धित अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

1. योजना

भारत सरकार ने अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम को आरंभ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था जिसमें दिनांक 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं नामतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रारोसृका) को एक साथ विलय कर दिया जिससे कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। पीएमईजीपी वर्ष 2008-09 से प्रचालन में है और इसे 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने हेतु अनुमोदित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का कार्यान्वियन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जा रहा है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशानिक नियंत्रण में एक सांविधित निकाय है, और यह पूरे देश में इस योजना के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण है। राज्य स्तर पर, यह योजना केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी), कयर बोर्ड (कॉयर संबंधी गतिविधियों के लिए) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य उपयुक्त अभिकरणों को भी शामिल कर सकती है I योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी केवीआईसी द्वारा नोडल बैंक के माध्यम से वित्तपोषक बैंक शाखाओं को भेजी जाती है और बाद में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर लॉक-इन अवधि पूर्ण होने के बाद लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। कार्यान्वयी अभिकरण योजना के कार्यान्वियन में, विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन, क्षेत्र-विशिष्ट लाभप्रद परियोजनाओं की पहचान और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, प्रारम्भिक समर्थन व लाभार्थियों के मार्गदर्शन हेतु प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों/प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थाओं/स्वयं सहयता समूहों/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों/राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना, आरसेटी/रुडसेटी के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संबंधित निकायों को अपने साथ संबद्ध करेंगे।

2. उद्देश्य

(i) नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ii) व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एकसाथ लाना और जहाँ तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(iii) देश के परंपरागत और संभावित अधिकतर कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।

(iv) कारीगरों की पारिश्रमिक-अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

3. वित्तीय सहायता की प्रमात्रा और प्रकृति

3.1 प्रमंरोसृका योजना के अंतर्गत निधियां निम्नलिखित दो प्रमुख शीर्षों के अधीन उपलब्ध होंगीः

i) निधियों को वार्षिक बजट आकलनों के अधीन आवंटित किया जाएगा जो कि मार्जिन मनी संवितरण के रूप में नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए होंगे; तथा

ii) मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बजट आकलन के तहत आबंटित निधियों में से, रु.100 करोड़ अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानुमोदित को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा प्रमंरोसृका/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए मार्जिन मनी के रूप में संवितरण हेतु निर्धारित किया जाएगा।

II बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज

प्रमंरोसृका के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आकलन के अंतर्गत कुल आवंटन का 5% अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानुमोदित राशि को बैकवर्ड एवं फार्वर्ड लिंकेज हेतु निधि के रूप में निर्धारित किया जाएगा तथा इसका उपयोग जागरूकता शिविरों, राज्य/जिला स्तर की निगरानी बैठकों, कार्यशालाओं की व्यवस्था प्रदर्शनियां, बैंकरों की बैठक, टीएनडीए, प्रचार, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण, भौतिक सत्यापन और जियो -टैगिंग, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, उद्यमिता सुविधा केंद्र (ईएफसी), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना, क्षेत्रीय विशेषज्ञों की नियुक्ति और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स (डीईओ), आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और उन्नयन, पुरस्कार, कॉल सेंटर सुविधा, पीएमयू, अन्य संबंधित गतिविधियां और केवीआईसी द्वारा अन्य अवशिष्ट देनदारियों का निपटान के लिए किया जाएगा।

3.2 पीएमईजीपी के अंतर्गत समर्थन के स्तर

(i) नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी **(नए उद्यमों की स्थापना हेतु)**	**लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)**	**सब्सिडी की दर** **(परियोजना लागत का)**	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर शारीरिक रूप से विकलांग, आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार)आदि	05%	25%	35%

नोट:(1) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.50 लाख है।

(2) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.20 लाख है।

(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि (स्व अंशदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) यदि कुल परियोजना लागत विनिर्माण और सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए क्रमश रु.50.00 लाख या रु.20.00 लाख से अधिक है, तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी ।

(ii)मौजूदा पीएमईजी/पीआईआरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी (मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए)	**लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)**	**सब्सिडी की दर** **(परियोजना लागत का)**
सभी श्रेणी	10%	15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 20%)

नोट:

(1) उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडि हेतु परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.1.00 करोड़ है। अधिकतम सब्सिडि रु.15 लाख होगी (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए रु.20 लाख)।

(2) उन्नयन के लिए व्यापार /सेवा क्षेत्र के परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.25.00 लाख है। अधिकतम सब्सिडि रु.3.75 लाख होगी (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए रु.5 लाख)।

(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि (स्व अंशदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) यदि कुल परियोजना लागत विनिर्माण और सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए क्रमश रु.1.00 करोड़ या रु.25.00 लाख से अधिक होती है, तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. लाभार्थी के लिए पात्रता की शर्तें

4.1 प्रमंरोसृका के अंतर्गत नए उद्यमों (इकाइयों) के लिए

(i) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।

(ii) प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रु.5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(iv) इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल पीएमईजीपी के अधीन विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

(v) वर्तमान इकाइयाँ (प्रमंरोयो, ग्रारोसृका या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत) तथा वे इकाइयाँ जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

प्रमंरोसृका (नए इकाइयों) के लिए पात्रता की अन्य शर्तें

(i) इस योजना के अंतर्गत पूँजी-व्यय रहित परियोजनाएँ, वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।

(ii) जमीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जा सकेगा। बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, किंतु इस शर्त के अधीन कि परियोजना लागत में शामिल की जाने वाली, बने-बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत की गणना अधिकतम केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए ही की जाएगी।

(iii) ग्रामोद्योगों की निषिद्ध सूची में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित भी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमंरोसृका लागू है। (कृपया दिशानिर्देश का परिच्छेद 30 देखें)।

(iv) **व्यापार गतिविधियां:**

क. पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित जिलों और अंडमान व निकोबार द्वीपों में बिक्री आउटलेट के रूप में व्यापार/व्यापार गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

ख. पूरे देश में पीएमईजीपी के तहत स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों/ व्यापार प्रतिष्ठानों को केवल ऐसे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बेचने की अनुमति होगी जिन्हें केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो और वे पीएमईजीपी/स्फूर्ति इकाइयों में विनिर्मित किए गए हों।

ग. विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित)/सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित खुदरा दुकानों को (देश भर में) अनुमति दी जा सकती है।

घ. उपरोक्त (ए) और (बी) के अनुसार व्यवसाय/व्यापार गतिविधियों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 20 लाख रुपये (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के बराबर) हो सकती है।

ङ. किसी राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत, व्यवसाय/ व्यापार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा ऊपर (क), (ख) और (ग) में वर्णित है।

(v) परिवहन गतिविधियां:
परिवहन गतिविधियां जैसे; पर्यटकों या आम जनता के परिवहन के लिए कैब/वैन, नाव/मोटर बोट/शिकारा आदि की खरीद की अनुमति होगी। परिवहन गतिविधियों के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की सीमा पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक प्रभार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिलों, और अंडमान व निकोबार द्वीप, गोवा, पुडुच्चेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, या किसी भी अन्य विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्र, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रभारित की जाएगी।

<u>**नोट:**</u>

(1) एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल हैं।

4.2 मौजूदा प्रमंरोसृका/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए:

(i) प्रमंरोसृका के तहत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 साल की लॉक इन अवधि पूर्ण होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया गया हो ।

(ii) प्रमंरोसृका/मुद्रा के अधीन प्रथन ऋण को नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक चुकता किया गया हो।

(iii) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ जनित हो तथा तकनीकी के आधुनिकीकरण/उन्नयन के साथ इसमें कारोबार और लाभ की संभावना मौजूद हो।

4.2 मौजूदा प्रमंरोसृका/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए:

(i) प्रमंरोसृका के तहत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 साल की लॉक इन अवधि पूर्ण होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया गया हो ।

(ii) प्रमंरोसृका/मुद्रा के अधीन प्रथन ऋण को नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक चुकता किया गया हो।

(iii) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ जनित हो तथा तकनीकी के आधुनिकीकरण/उन्नयन के साथ इसमें कारोबार और लाभ की संभावना मौजूद हो।

5. कार्यान्वयी अभिकरण

5.1 कार्यान्वयी अभिकरण - यह योजना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 के माध्यम से स्थापित एक सांविधिक निकाय है। खा.ग्रा.आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण होगा।
राज्य स्तर पर, इस योजना को केवीआईसी के राज्य निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों और कॉयर से संबंधित गतिविधियों के लिए कॉयर बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीएफडीसी), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) गुवाहाटी, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और राष्ट्रीय सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), उद्यमिता विकास संस्थान (आईईडी) ओडिशा, टीआर एवं टीसी,डीसीएमएसएमई कार्यालय और एमएसएमई डीआई आदि को भी आवश्यक होने पर कार्यान्वयी अभिकरण के रूप में नामांकित किया जा सकता है।
भविष्य में नामांकित किए जा सकने वाले आईए सहित सभी आईए को ग्रामीण या शहरी श्रेणी के बावजूद सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति दी जाएगी। केवीआईसी राज्य केवीआईबी/राज्य जिला उद्योग केंद्र , अन्य कार्यान्वयी अभिकरण के साथ समन्वय करेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग करेगा। कार्यान्वयी अभिकरण प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी

मित्रों, आरसेटी/रुडसेटी पंचायती राज संस्थाओं , प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन और अन्य संबंधित एजेंसियों (जैसा कि धारा 5.2 में दर्शाया गया है) को भी शामिल करेंगे ।

कयर बोर्ड को कयर इकाइयों की पहचान करने में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें प्रमंरोसृका के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए प्रारम्भिक सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

5.2 **अन्य अभिकरण**

(i) महिला और बाल विकास विभाग (डीडबल्यूसीडी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसियेशन ऑफ इंडिया(एडबल्यूडबल्यूए)

(ii) लघु कृषि और ग्रामोद्योग संवर्धन एवं तकनीकी परामर्श सेवा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण में परियोजना परामर्श का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठन, जिनके पास अपेक्षित बुनियादी संरचना और राज्य या जिले में ग्राम तथा तालुका स्तर पर पहुँचने के लिए अपेक्षित मानव शक्ति हो। साथ ही, गैर-सरकारी संगठन को राज्य या राष्ट्रीय स्तर के सरकारी अभिकरण ने पिछले 3 वर्ष की अवधि में निधि उपलब्ध कराई हो।

(iii) सरकार/विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाएँ/तकनीकी महाविद्यालय, जिनके पास व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए विभाग, या कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम हों, जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण पोलिटेकनिक, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान आदि।

(iv) खा.ग्रा.आयोग/खा.ग्रा.बोर्ड से सहायता प्राप्त प्रमाणीकृत खादी ग्रामोद्योग संस्थाएँ बशर्ते वे ए+, ए या बी श्रेणी की हों और उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ, मानवशक्ति और विशेषज्ञता हो।

(v) खा.ग्रा. आयोग/ खाग्रा बोर्ड के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र।

(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी विकास केंद्र, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियत्रंण में हों।

(vii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) कार्यालय, तकनीकी केंद्र और सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) से स्थापित इन्क्यूबेट और प्रशिक्षण-सह-इन्क्यूबेशन केंद्र (टीआईसी)।

(viii) सू.ल.म.उ. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान, उनकी शाखाएँ और उनकी सहभागी संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी)।

(ix) प्रमंरोसृका फेडरेशन, जब भी स्थापित हों।

(x) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोई अन्य एजेंसी।

6. वित्तीय संस्थाएँ

(i) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

(ii) आरबीआई द्वारा विनियमित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राइवेट सैक्टर शैडयूल्ड कमर्शियल बैंक

(iii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

7. लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयी अभिकरणों और बैंकों द्वारा की जाएगी। बैंकरों को शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन एकत्र न हो। आवेदक, जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)/कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी)/उद्यमिता

सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) या व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटी) के अंतर्गत पहले से ही कम से कम 10 दिनों का (ऑफ़लाइन मोड के लिए)/60 घंटे (ऑनलाइन मोड के लिए) प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर से ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005) की धारा 2(d) के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा "आपदा क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा/विपदा से ग्रसित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिक राशि की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए परियोजना लागत को बढ़ाकर दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केवीआईसी ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के परामर्श से एक स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) तैयार किया है , जिसका उपयोग आईए द्वारा पीएमईजीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में बैंकों को आवेदन/प्रस्तावों को अग्रेषित करने के लिए किया जा रहा है। यह स्कोरिंग मॉडल केवीआईसी और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

8. बैंक वित्त

8.1 लाभार्थी/संस्था के सामान्य श्रेणी का होने की स्थिति में, बैंक परियोजना लागत के 90% और विशेष श्रेणी का होने की स्थिति में 95% की दर से वित्तपोषण की मंजूरी देगा, और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रक्रिया से पूरी राशि संवितरित करेगा।

8.2 बैंक पूँजी व्यय के लिए मियादी ऋण के रूप में और कार्यशील पूँजी के लिए कैश क्रेडिट के रूप में वित्त उपलब्ध कराएगा. बैंक परियोजना का वित्तपोषण सम्मिश्र ऋण के रूप में भी कर सकता है, जिसमें पूँजी व्यय और कार्यशील पूँजी भी शामिल होगा ।

8.3 प्रमंरोसृका के अधीन अधिकतम परियोजना लागत रु.50 लाख है, जिसमें पूंजीगत व्ययों तथा कार्यशील पूंजी के सापेक्ष मियादी ऋण शामिल है। सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी घटक परियोजना लागत का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा कार्यशील पूंजी 60% से अधिक नहीं हो। तथापि, उन परियोजनाओं के लिए जहां विनिर्माण सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए पूंजीगत व्यय परियोजना लागत की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है।, ऐसे मामलों में बैंक क्रमशः रु.50 लाख और रु.20 लाख से अधिक की अतिरिक्त निधि को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, रु.50 लाख/रु.20 लाख से अधिक की अतिरिक्त निधि को सब्सिडि के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

यदि उपगत पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी व्यय (उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष के अंत में) बैंक ऋण (स्वयं के योगदान सहित) के तहत स्वीकृत राशि से कम है, तो अतिरिक्त मार्जिन मनी (सब्सिडी) (कमी के सापेक्ष) केवीआईसी को वापस कर दिया जाएगा।

8.4 ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची

ब्याज सामान्य दर से प्रभारित किया जाएगा। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित आरंभिक स्थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने में प्राथमिकता देने के लिए बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर उपयुक्त दिशा-निर्देश भी जारी करता है कि किस – किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों को इस योजना को कार्यान्वित करने से बाहर रखा जाएगा।

9. उद्योग की परिभाषा और रोजगार मानदंड

ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग (नकारात्मक सूची में उल्लिखित को छोड़कर) जो बिजली के उपयोग करते हुए अथवा इसके बिना किसी भी सामान का उत्पादन करता है या कोई सेवा प्रदान करता है

और जिसमें प्रति पूर्णकालिक कारीगर या कामगार, अचल पूँजी-निवेश मैदानी क्षेत्रों में रु.3.00 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में रु.4.50 लाख से अधिक नहीं हो, जिसका अर्थ है वर्कशॉप/वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर पर पूँजी व्यय में परियोजना से सृजित पूर्णकालिक रोजगार में भाग देने पर प्राप्त राशि।

नोट: प्रमंरोसृका के अंतर्गत अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में गतिविधियों हेतु प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा को विशेष मामले के रूप में बढ़ाकर रु.4.5 लाख कर दिया गया है।

10. ग्रामीण क्षेत्र

(i) राज्य/संघ-शासित क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो।

अथवा

(ii) पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत गिना जाएगा, जबकि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा।

11. योजना के अधीन आवेदन और निधियों के प्रवाह की ऑनलाइन प्रक्रिया पद्धति

11.1 अखबारों, विज्ञापनों, रेडियो और अन्य मल्टी-मीडिया के माध्यम से, जिले को आबंटित लक्ष्य के आधार पर विभिन्न समयांतरालों पर खा.ग्रा.आयोग, खा.ग्रा.बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों से परियोजना-प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँगे। योजना को पंचायती राज संस्थाओं और अन्य उपयुक्त सरकारी संगठनों के माध्यम से भी प्रचारित/ प्रसारित किया जाएगा, जो लाभार्थियों के चयन में भी सहयोग देंगी।

11.2 ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होंगे और किसी भी मैनुअल आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसा कि केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी पोर्टल को विकसित किया गया और संचालित किया जा रहा है। पीएमईजीपी योजना के तहत परिभाषित पात्रता मानदंड के अनुसार नई परियोजनाओं के लिए और मौजूदा इकाइयों के उन्नयन/विस्तार के लिए भी आवेदन केवल उक्त पीएमईजीपी-पोर्टल के माध्यम से भरे और जमा किए जाएंगे।

11.3 आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए पोर्टल पर अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं।

11.4 आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में उनके उपयोग के लिए प्रारंभिक पंजीकरण (आवेदन दाखिल) के समय यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। आवेदक को अंतिम सबमिशन पर आवेदन आईडी प्रदान की जाएगी।

11.5 आवेदक का आधार नंबर अनिवार्य है और आवेदन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व यूआईडीएआई डडाटाबेस के साथ प्रमाणित किया जाता है। उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें कोई आधार नंबर नहीं सौंपा गया है, ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आवेदन करेगा और नामांकन संख्या प्रस्तुत करेगा। कुछ क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र , जम्मू और कश्मीर, आदि) में यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर जारी नहीं किया गया है, तो व्यक्ति योजना के तहत लाभ के लिए पैन कार्ड आदि जैसे पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों को प्रस्तुत करेंगे ।

11.6 आवेदन जमा करने से पहले इसमें फोटो और दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान होगा जो आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक हैं। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:

क. जाति प्रमाण पत्र ।

ख. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, जहाँ भी आवश्यक हो।

ग. ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र।

घ . परियोजना रिपोर्ट ।

ड. शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

च. कोई अन्य उपयुक्त दस्तावेज

11.7 आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित स्थान में सभी जानकारी भरेगा। भविष्य के उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन को सेव करने के तुरंत बाद आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

11.8 आवेदक को पहली और दूसरी किश्त के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर एक स्व-मूल्यांकन स्कोर जनरेट होगा । सभी दस्तावेजों के पूरा होने पर, आवेदक अंतिम रूप से सबमिशन करेगा और यूनिक आवेदन आईडी प्राप्त करेगा जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। आवेदक आवेदन जमा करने के लिए प्रमाण के रूप में पावती डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकता है। दस्तावेजों और आवेदन पत्र का पूरा सेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पसंदीदा कार्यान्वयी अभिकरण के प्रतिनिधियों को अग्रेषित किया जाएगा।

11.9 आवेदन प्राप्त होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी और डीआईसी और अन्य कार्यान्वयी अभिकरणों के नोडल अधिकारी आवेदक के साथ स्वयं टेलीफोन पर बातचीत करेंगे या व्यक्तिगत बैठक करेंगे और प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की पुष्टि करेंगे। नोडल अधिकारी आवेदक के साथ परामर्श/क्रॉस चेकिंग करके आवेदन में सभी आवश्यक सुधार करेंगे और प्रत्येक चरण में आवेदक को प्रारंभिक सहायता भी प्रदान करेंगे। ऋण से संबंधित निर्णय लेने के लिए वित्तीय बैंक को अग्रेषित करने से पूर्व कार्यान्वयी अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित गतिविधि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार है और गतिविधियों की नकारात्मक सूची के अंतर्गत नहीं आती है।

कार्यान्वयी अभिकरण पूर्ण/सही आवेदनों को सीधे आवेदक द्वारा चुने गए वित्तपोषण बैंकों में से किसी एक को क्रेडिट निर्णय लेने के लिए वरीयता के क्रम के अनुसार अग्रेषित करने या नीचे दिए गए अनुसार स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर आवेदक को वापस करने का अंतिम निर्णय लेंगे:

परियोजना लागत	बैंक को अग्रेषित करने हेतु न्यूनतम स्कोर
रु.10.00 लाख तक	100 में 50
रु.10.00 लाख से अधिक	100 में 60

पूर्ण/संशोधित आवेदनों को यथाशीघ्र बैंक में अग्रेषित किया जाना चाहिए और इसे किसी भी स्थिति में, कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा अंतिम आवेदन प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर नहीं भेजा जाना चाहिए।

11.10 जो आवेदन योजना के दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं है अथवा आवेदक से परामर्श के बाद भी अपूर्ण है, संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति का कारण बताते हुए उसे अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदक को अस्वीकृति के कारणों से भी अवगत कराया जाएगा।

11.11 त्रैमासिक आधार पर संबंधित जिले में पीएमईजीपी कार्यान्वयन के प्रदर्शन की निगरानी और आयुक्त/प्रधान सचिव (उद्योग) को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे;

क) **जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर पद का उनका प्रतिनिधि - अध्यक्ष**

ख) **पीडी-डीआरडीए/ईओ-जिला पंचायत - उपाध्यक्ष**

ग) **अग्रणी बैंक प्रबंधक - सदस्य**

घ)	**केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/अन्य कार्यान्वयी अभिकरण के प्रतिनिध**	**- सदस्य**
ङ)	**एनवाईकेएस/एससी/एसटी कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि**	**- विशेष आमंत्रित**
च)	**एमएसएमई-डीआई, आईटीआई/पॉलिटेक्निक**	**- विशेष आमंत्रित**
छ)	**पंचायत से प्रतिनिधि**	**- 03 सदस्य**

(अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर द्वारा रोटेशन के आधार पर नामित किया जाए)

ज)	**निदेशक, आरसेटी/रुडसेटी**	**- सदस्य**
झ)	**महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र**	**- सदस्य संयोजक**

11.12 केवीआईसी, मुख्यालय द्वारा स्थापित किये जाने वाला एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और एक शिकायत प्रकोष्ठ की व्यवशता होगी। शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। यदि आवेदक कार्यान्वयन एजेंसियों की अनुशंसा से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र या संबंधित राज्य के राज्य निदेशक, केवीआईसी, जो भी वरिष्ठ हो, से शिकायत कर सकता है। सीईओ-केवीआईसी, सीईओ-केवीआईबी और प्रमुख सचिव (उद्योग) संबंधित मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

11.13 बैंक परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर स्वयं का क्रेडिट निर्णय लेंगे। एजेंसियों द्वारा अग्रेषित परियोजनाओं के संबंध में रु.10.00 लाख तक की ऋण वाली परियोजनाओं के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों द्वारा कोई संपार्श्विक सुरक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा। तथापि, बैंक अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक परियोजना के निम्नलिखित मानदंडों को सुनिश्चित करने के बाद तकनीकी और आर्थिक रूप से परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे :-

I. उद्योग
II. प्रति व्यक्ति विनिवेश
III. स्वयं का अंशदान
IV. ग्रामीण क्षेत्र
V. निषेधात्मक सूची (दिशानिर्देश का पैरा 30)

11.14 बैंक निर्धारित अवधि में ऋण आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। ऋण की स्वीकृति ऑनलाइन जारी की जाएगी और जिला एजेंसियों से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर स्वीकृति आदेश की प्रति आवेदक (ई-मेल/हार्ड कॉपी द्वारा) सहित केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/अन्य कार्यान्वयी अभिकरण को भेजी जाएगी। यदि आवेदक ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो उन्हे ईडीपी प्रशिक्षण के लिए स्वीकृति पत्र ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल पर और संबंधित आरसेटी या अन्य अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र को स्वतः भेजा जाएगा। बैंकों द्वारा ऋण जारी करने से पूर्व निर्धारित ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है। बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में विलंब होने पर आवेदक पीएमईजीपी शिकायत पोर्टल पर शिकायत कर सकते है, जो दो कार्य दिवस के भीतर संबंधित नोडल अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के नोडल अधिकारी अग्रणी बैंक प्रबंधक के परामर्श से मामलें के निपटान हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

11.15 आवेदकों को ऋण स्वीकृति हेतु प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईडीपी शुल्क भुगतान कर आयोग के राज्य कार्यालय के परामर्श से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते है।

11.16 आवेदक ऋण स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर वित्तीय बैंक में स्वयं का अंशदान, फोटो और आधार सहित ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति जमा करेंगे। ईडीपी प्रमाणपत्र भी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ही अपलोड किया जाएगा।

11.17 बैंक ऋण की पहली किस्त को या तो पूरा अथवा आंशिक रूप से जारी करेंगे और नोडल बैंक/केवीआईसी पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सब्सिडी हेतु ऑनलाइन दावा करेंगे।

11.18 वित्तीय बैंक निम्नलिखित पूर्णता के आधार पर मार्जिन मनी दावा करेंगे :-

I. पहली किस्त जारी करने की तारीख मार्जिन मनी (सब्सिडी) दावा करने की तारीख से पहले की है।
II. आवेदक ने ईडीपी प्रशिक्षण पूरा किया है और पोर्टल पर अद्यतन किया गया है।
III. आवेदक ने स्वयं का अंशदान जमा किया है।
IV. पात्र मार्जिन मनी के बराबर या उससे अधिक की पहली किस्त का वितरण किया गया है।

वित्तीय बैंक दावा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित गतिविधि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार है और यह निषेधात्मक सूची के अंतर्गत नहीं आती है। केवीआईसी द्वारा मार्जिन मनी दावों का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी तथा यदि दावा सही हैं, तो तीन कार्य दिवस के भीतर मार्जिन मनी जारी करने के लिए नोडल बैंक को अग्रेषित किया जाएगा। यदि मार्जिन मनी दावा में कोई त्रुटि/कमी पाई जाती है, तो उसे सुधार कर पुन: प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय बैंकों/कार्यान्वयी अभिकरण को वापस किया जाएगा।

11.19 सत्यापन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर नोडल बैंक केवीआईसी द्वारा मान्य मार्जिन मनी सब्सिडी दावा राशि को संबंधित वित्तीय बैंक शाखा में स्थानांतरित करेंगे।

यदि वित्तीय बैंक शाखा प्रमाणित करती है कि दावे में प्रस्तुत सभी तथ्य सही है और ईकाई की उपरोक्त गतिविधि पीएमईजीपी योजना की निषेधात्मक सूची के अंतर्गत नहीं है और पीएमईजीपी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार है, तो केवीआईसी द्वारा सत्यापन कर मार्जिन मनी दावा को वित्तीय बैंक शाखाओं द्वारा ऑनलाइन वितरण हेतु सीधे नोडल बैंक पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।

11.20 लाभार्थी की ओर से वित्तीय बैंकों में मार्जिन मनी (सब्सिडी) प्राप्त होने के बाद, 24 घंटे के भीतर इसे लाभार्थी के नाम पर शाखा स्तर पर सावधि जमा रसीद (टीडीआर)/सब्सिडी रिजर्व फंड (एस आरएफ) में तीन वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए। टीडीआर/एसआरएफ पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और टीडीआर/एसआरएफ से संबंधित राशि के लिए वितरित ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। बैंक पीएमईजीपी पोर्टल पर टीडीआर/एसआरएफ विवरण जैसे-टीडीआर/एसआर एफ नंबर और तारीख को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय बैंक बाद की ऋण किस्त और ब्याज दर का विवरण पीएमईजीपी पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

11.21 उपरोक्त प्रत्येक चरण में सिस्टम द्वारा आवेदक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट स्वतः भेजे जाएंगे।

11.22 यदि किसी भी कारण से, लाभार्थी के नियंत्रण से परे, बैंक का अग्रिम तीन वर्ष से पूर्व "खराब" हो जाता है, तो केवीआईसी को मार्जिन मनी (सब्सिडी) वापस की जाएगी। बाद में, किसी भी स्रोत से यदि कोई वसूली प्रभावित होती है, तो बैंक द्वारा ऐसी वसूली का उपयोग अपने बकाया देय राशि को समाप्त करने के लिए किया जाएगा।

11.23 मार्जिन मनी (सब्सिडी) सरकार की ओर से "एकमुश्त सहायता" होगी। ऋण सीमा बढ़ाने या परियोजना के विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु इस योजना के तहत द्वितीय ऋण के माध्यम से उन्नयन के लिए (चयनित इकाइयों को छोड़कर) मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता उपलब्ध नहीं है।

11.24 संयुक्त रूप से अर्थात दो अलग-अलग स्रोतों (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) से वित्तपोषित परियोजनाएं मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता के लिए पात्र नहीं है।

11.25 बैंक वित्त जारी करने से पूर्व बैंक को लाभार्थी से यह शपथ पत्र लेना होगा कि कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा आपत्ति (अभिलिखित और लिखित रूप में सूचित) होने पर, लाभार्थी टीडीआर/ एसआरएफ में रखी मार्जिन मनी (सब्सिडी) को वापस करेगा अथवा इसे तीन वर्ष के बाद जारी किया जाएगा।

11.26 बैंक और सभी कार्यान्वयी अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी अपने परियोजना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित साइन बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करें :-

(ईकाई का नाम) : --
वित्तपोषित बैंक : --

जिला का नाम :--
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत

11.27 पीएमईजीपी पोर्टल पीएमईजीपी लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान को कैप्चर करता है। संबंधित एजेंसियों अर्थात कार्यान्वयी अभिकरण के अधिकारी स्थापना के बाद प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार इकाइयों का दौरा करेंगे, ताकि उनकी स्थिति की जांच की जा सके और आवश्यक मार्गदर्शन/हैंडहोल्डिंग तथा सुझाव दिया जा सके। संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसे दौरों का विवरण पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा किए गए इकाई के भौतिक सत्यापन के साथ-साथ लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी (सब्सिडी) समायोजन के वितरण का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

11.28 पोर्टल का एमआईएस यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण और वितरण में किसी प्रकार का ओवरलैप नहीं है और श्रेणीवार, ग्रामीण, शहरी, बैंकवार, जिलेवार, राज्यवार, वर्षवार, उद्योग क्षेत्र वार, परियोजना वार के आकार, आदि सहित विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाता है।

11.29 मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सब्सिडी

I. पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत स्थापित मौजूदा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन नामक एक अतिरिक्त घटक को शामिल किया गया है, जिसमें पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहले से स्थापित और टर्नओवर, लाभार्जन और ऋण भुगतान संबंधी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाईयां, खंड 3.2 (i) में सभी विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा 15-20 % की एक समान सब्सिडी वाले बैंकों के माध्यम से विनिर्माण इकाइयों के लिए रु.1.00 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए, मात्र रु.25.00 लाख तक वित्तीय सहायता होगी।

II. जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक विकास, पारंपरिक कौशल/कच्चे माल की उपलब्धता आदि के आधार पर प्रत्येक जिले से लगभग 10 इकाइयों को पूरे देश से समान रूप से चयन किया जाएगा।

III. केवीआईसी ने अपग्रेडेशन के लिए मौजूदा इकाइयों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सरलीकृत आवेदन पत्र के साथ पीएमईजीपी-ई-पोर्टल में उचित प्रावधान किया है।

IV. जिला स्तरीय एजेंसियां (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/अन्य कार्यान्वयी अभिकरण) प्रारंभिक जांच के बाद आवेदनों को वित्तीय बैंकों को अग्रेषित करेंगी, जो आर्थिक और तकनीकी रूप से परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और ऋण संबंधी निर्णय लेंगे। वित्तीय बैंक पीएमईजीपी इकाइयों के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी (सब्सिडी) का दावा करेंगे, मार्जिन मनी (सब्सिडी) को तीन साल के लिए टीडीआर/एसआरएफ के रूप में रखा जाएगा। टीडीआर/एसआरएफ पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और टीडीआर/एसआरएफ की संबंधित राशि के लिए वितरित ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

V. तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा भौतिक सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर 03 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद लाभार्थी के ऋण खाते में टीडीआर/एसआरएफ को समायोजित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में, संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा वित्तीय बैंक और तीसरे पक्ष की एजेंसियों के साथ संयुक्त सत्यापन किया जा सकता है। संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण से मार्जिन मनी (सब्सिडी) समायोजन पत्र प्राप्त होने पर ही वित्तीय बैंक द्वारा मार्जिन मनी का समायोजन किया जाएगा।

12.1 बजट परिव्यय और लक्ष्य

वित्तीय वर्ष (2021-22 से 2025-26) हेतु पीएमईजीपी के लिए रु.13,554.42 करोड़ के परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें लगभग 30 लाख रोजगार (प्रति ईकाई 8 व्यक्ति) सृजन के साथ लगभग 4 लाख

परियोजनाओं (सूक्ष्म उद्यम) की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 इकाइयों का उन्नयन किया जाएगा।

12.2 अनुमानित वर्ष-वार भौतिक और वित्तीय आउटपुट/डिलिवरेबल्स (अनंतिम)

घटक का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़)					पैरामीटर	भौतिक आउटपुट				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
(ए) नई ईकाईयों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी	2350	2450	2525	2625	2779.4	i) स्थापित किये जाने वाली नई परियोजनाओं की संख्या (संख्या में) ##	75,800	77,700	77,700	80,700	85,500
						ii) सृजित किये जाने वाले अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्ति में)	6.06	6.21	6.21	6.45	6.84
उन्नयन के लिए सब्सिडी (दूसरा ऋण)	100	100	100	100	100	i) अपग्रेड की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
						ii) सृजित किये जाने वाले अनुमानित रोजगार (संख्या में)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(बी) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज (बी एंड एफएल) #	50	50	75	75	75	जागरूकता शिविर, प्रदर्शनियां, बैंकर्स बैठक और प्रचार, ईडीपी, भौतिक सत्यापन, समवर्ती मूल्यांकन, जियो टैगिंग, पीएमयू, फील्ड विशेषज्ञ डीईओ, आदि (जैसा कि खंड 3.1.II में दर्शाया गया है) #(एमएम/बीएफएल के अंतर्गत आवंटन को उपयोग के अनुसार संशोधित/समायोजित किया जा सकता है)					
कुल	2500	2600	2700	2800	2954.42	* नई परियोजनाओं के लिए अनुमानित रोजगार @ 8 व्यक्ति * *उन्नत परियोजनाओं के लिए अनुमानित रोजगार @ 5 व्यक्ति ## वर्ष 2021-22 के लिए औसत प्रति ईकाई सब्सिडी रूप में रु.3.1 लाख, वर्ष 2022-23 के लिए रु. 3.15 लाख और वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए रु.3.25 लाख ली जाती है।					

13. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

13.1 ईडीपी का उद्देश्य व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएं, बही खाता, सांविधिक अनुपालन, आदि जैसे-विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों से संबंधित ओरिएंटेशन और जागरूकता प्रदान करना है।

संभावित उद्यमी और लाभार्थी जिनका बैंकों से पहले ही ऋण स्वीकृत हो चुका है, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। रु.05.00 लाख तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 05 दिनों की होगी और रु.05.00 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ईडीपी की अवधि कम से कम 10 दिनों की होगी। रु.02.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा। भावी उद्यमी और लाभार्थी प्रशिक्षण मोड और अपनी पसंद के ऑफ़लाइन मोड के लिए प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर सकते है।

मार्जिन मनी (सब्सिडी) दावा करने के लिए ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण में क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से ओरिएंटेशन के साथ-साथ सफल ग्रामीण उद्यमी, बैंकों के साथ बातचीत शामिल होगा। ईडीपी का संचालन केवीआईसी द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में केवीआईसी, केवीआईबी प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों, एनएसआईसी, तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई) अर्थात निसबड़, निमसे और आईआईई तथा एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में उनके सहयोगी संस्थान, राज्य सरकारों, बैंकों, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समय-समय पर चिन्हित अन्य संगठनों/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।

जिन लाभार्थियों ने पहले ही केवीआईसी/केवीआईबी या प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कम से कम 10 दिनों का ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें नए ईडीपी से छूट दी जाएगी।

केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों की पहचान की जाएगी और सभी कार्यान्वयी अभिकरण को प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की सामग्री, अवधि आदि के बारे में परिपत्रित कर इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। ईडीपी प्रमाणपत्र को प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद सत्यापन कर पीएमईजीपी पोर्टल पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपलोड किया जाएगा।

इसके अलावा, केवीआईसी द्वारा इकाइयों की स्थापना के 03 साल से अधिक के लाभार्थियों के लिए विशेषज्ञ और एमएसएमई-डीआई, डीसीएमएसएमई के टीआर-टीसी, एनआई-एमएसएमई आदि जैसे-संस्थानों को शामिल कर प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग आदि की भी व्यवस्था किया जाएगा।

नोट :-

ए) केवीआईसी ने संभावित उद्यमियों को दो दिवसीय मुफ्त ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया है।

13.2 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ईडीपी शुल्क के लिए बजट

ईडीपी प्रशिक्षण की दरें सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रचलित दरों के अनुसार केवीआईसी द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

14. पीएमईजीपी इकाइयों का भौतिक सत्यापन

अन्य कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा सहायता प्राप्त इकाईयों सहित पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और कार्य स्थिति की जियो-टैगिंग सहित 100% भौतिक सत्यापन केवीआईसी द्वारा भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली तृतीय-पक्षीय एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक, डीआईसी, केवीआईबी और अन्य कार्यान्वयी अभिकरण 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने में केवीआईसी के साथ समन्वय और सहायता करेंगे। इकाइयों के ऐसे भौतिक सत्यापन के लिए केवीआईसी द्वारा एक उपयुक्त प्रणाली तैयार की जाएगी। केवीआईसी द्वारा एमएसएमई मंत्रालय को निर्धारित प्रारूप में सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वित्तीय बैंक द्वारा पहली किस्त जारी होने की तारीख से छ: माह के बाद इकाई की स्थापना पर विचार किया जाएगा। इकाई की स्थापना तिथि से दो वर्ष के बाद भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और 03 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरा होने से पूर्व पूरी की जानी चाहिए। भौतिक सत्यापन और 03 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरा होने के बाद, कार्यान्वयी अभिकरण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर वित्तीय बैंकों को मार्जिन मनी समायोजन पत्र जारी करेगा। वित्तीय बैंक संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण से समायोजन पत्र प्राप्त होने पर ही मार्जिन मनी (सब्सिडी) को समायोजित करेंगे। वित्तीय बैंक 03 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि से पूर्व और संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण से समायोजन पत्र के बिना मार्जिन मनी (सब्सिडी) को समायोजित करने के लिए अधिकृत नहीं है। वित्तपोषित बैंक उचित लेखा प्रणाली के माध्यम से केवीआईसी को कॉल बैक मार्जिन मनी (सब्सिडी) वापस भेज देंगे। केवीआईसी इसके लिए कार्य प्रणाली तैयार करेगा।

15. जागरूकता शिविर

15.1 केवीआईसी पीएमईजीपी को लोकप्रिय बनाने और योजना के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए अन्य कार्यान्वयी अभिकरणों के साथ सूक्ष्म समन्वय से पूरे देश में जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। जागरूकता शिविरों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें विशेष श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, महिला, ट्रांसजेंडर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा जागरूकता शिविर के दौरान प्रतिभागियों के विवरण और सम्मिलित संभावित उद्यमियों के रुचि क्षेत्र का रखरखाव किया जाएगा।

एक जिले के लिए वार्षिक रूप से दो शिविरों की अनुमति होगी और शिविरों का आयोजन कार्यान्वयी अभिकरण और बैंकों के सूक्ष्म समन्वय से किया जाएगा। कार्यान्वयी अभिकरण योजना के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। जागरूकता शिविर के दौरान चिन्हित संभावित लाभार्थियों को विशेषज्ञ संसाधनों/एजेंसियों के माध्यम से गतिविधियों की पहचान, डीपीआर तैयार करने, दस्तावेजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, वित्तीय बैंक के साथ समन्वय आदि में सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे शिविरों के आयोजन के लिए प्रचार और अन्य आवश्यक व्यय संबंधी जागरूकता शिविर का वित्तीय पैटर्न केवीआईसी द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे अलग से सूचित किया जाएगा।

15.2 जागरूकता शिविर में की जाने वाली अनिवार्य गतिविधियाँ:

I. बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, साप्ताहिक वेबिनार, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार।

II. केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/कयर बोर्ड, अन्य अधिकारियों द्वारा योजना संबंधी प्रजेंटेशन।

III. क्षेत्र के अग्रणी बैंक द्वारा प्रजेंटेशन।

IV. सफल पीएमईजीपी उद्यमियों द्वारा प्रजेंटेशन।

V. बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत होने वाले पीएमईजीपी उद्यमियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण।

VI. प्रेस कॉन्फ्रेंस।

VII. संभावित लाभार्थियों से डेटा (निर्धारित प्रारूप में) संग्रह करना, जिसमें लाभार्थियों की प्रोफाइल, कौशल, पृष्ठभूमि और योग्यता, अनुभव, रुचि वाली परियोजना, आदि जैसी जानकारी शामिल होगी। कार्यान्वयी अभिकरण प्रतिभागियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

VIII. केवीआईसी द्वारा तैयार पीएमईजीपी के अंतर्गत विचार के लिए परियोजनाओं का एक शेल्फ आयोग/मंत्रालय द्वारा कुछ प्रमुख राज्य उद्योग सचिवों और बैंकों को पहले ही परिपत्रित किया गया है। पहले से ही तैयार शेल्फ में परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कार्यान्वयी अभिकरण ऐसी परियोजनाओं के विवरण केवीआईसी को अग्रेषित करेंगे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत 'प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन' में प्रावधान का उपयोग करते हुए केवीआईसी द्वारा बैंकों और अन्य कार्यान्वयी अभिकरणों के परामर्श से, परियोजनाओं के सेल्फ का विस्तार किया जाएगा।

IX. केवीआईसी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और प्रतिभागियों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर के दौरान प्रदर्शित करने के लिए पीएमईजीपी ऑनलाइन

पोर्टल और केवीआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी गई है। केवीआईसी द्वारा 400 से अधिक उद्योग-वार डीपीआर के नमूने पहले ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए है।

X. **विपणन सहायता**

ए) पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए विपणन सहायता, जहां तक संभव हो, केवीआईसी के बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। केवीआईसी गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और केवीआईसी द्वारा केवीआईबी/डीआईसी को अलग से परिपत्रित किए जाने वाले अन्य मानकों के आधार पर ऐसी सहायता प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

इसके अलावा, केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी लाभार्थियों के लाभ के लिए जिला/राज्य, आंचलिक /राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि की व्यवस्था की जाएगी।

16. कार्यशाला

ए) उद्देश्य

I. पीएमईजीपी योजना और केवीआईसी की अन्य योजनाओं, स्फूर्ति, एस्पायर, नेशनल एससी एसटी हब, एससीएलसीएसएस, चैंपियंस, एमएसई-सीडीपी आदि के लाभों के बारे में संभावित लाभार्थियों को संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना।

II. उत्पादित उत्पादों, सेवाओं/व्यावसायिक गतिविधि के विवरण, उत्पादन, आपूर्ति क्षमता, वर्तमान विपणन संरचना, रोजगार और परियोजना लागत आदि संबंधी पीएमईजीपी इकाइयों का डेटा बैंक तैयार करना।

III. इकाइयों, उसकी समस्याओं, आवश्यक सहायता, सफलता की कहानियों आदि के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए पीएमईजीपी उद्यमियों के साथ बातचीत करना।

IV. पीएमईजीपी इकाइयों की सहायता करने के लिए विपणन और निर्यात क्षेत्र में विशेषज्ञों को शामिल करना।

नोट :-

I. यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यशाला में कम से कम 200 संभावित उद्यमी भाग लें।

बी) राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होगी :-

राज्य में कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान कार्यान्वयी अभिकरण राज्य में योजना के प्रदर्शन को प्रस्तुत करेंगे और योजना के आगे विकास के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। कार्यशाला के दौरान, एजेंसियां जिला, तालुका और पंचायत स्तर पर योजना के निवेश का विश्लेषण भी करेंगी। वित्तीय बैंकों की भागीदारी की भी समीक्षा की जाएगी और विभिन्न बैंकों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के दौरान सफल एवं असफल लाभार्थियों के अनुभव को बताया जाएगा तथा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास और विपणन के संदर्भ में विभिन्न सहायता प्रदान करने की संभावनाओं पर भी चर्चा और अनुशंसा की जाएगी। राज्य स्तरीय पदाधिकारियों जैसे-सचिव (उद्योग), आरबीआई के प्रतिनिधि, एसएलबीसी के संयोजक, प्रमुख बैंकों को आमंत्रित किया जाएगा। ऐसी कार्यशालाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं के लिए आयोग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

सी) केवीआईसी इन कार्यशालाओं का समन्वय करेगा और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यशालाओं की संख्या अग्रिम रूप से प्राप्त करेगा।

17. प्रदर्शनियां

पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरीय पीएमईजीपी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए मंत्रालय से पहले ही अनुमोदन प्राप्त करेगा। प्रदर्शनी कार्यक्रम से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों/जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इकाइयों के उत्पादों को

प्रदर्शित करने के लिए अलग पैविलियन उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियो द्वारा ग्रामीण और शहरी उद्यमियों के लिए अलग-अलग लोगो और नाम रखा जाएगा। उदाहरणके लिए ग्रामीण पीएमईजीपी प्रदर्शनियों के लिए ग्रामएक्स्पो, ग्राम उत्सव, ग्राम मेला आदि जैसे नामों का प्रयोग किया जा सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रति वर्ष खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियो के समन्वय से एक जिला स्तरीय (प्रत्येक जिले में), एक राज्य स्तरीय और एक अंचल स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करेगा।

18. **अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता**

पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उनके निर्यात बाजार को विकसित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ**),** आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की परिकल्पना की गई है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियो के समन्वय से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन करेगा और सभी कार्यान्वयन एजेंसियो से इच्छुक इकाइयों की सूची मँगवाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि मेला में सहभागिता करने की इच्छुक खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियो के माध्यम से स्थापित इकाइयों पर उत्पादों के उत्कृष्टता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर न्यायपूर्ण विचार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता करने के लिए सहायता का पैटर्न भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

19. **बैंकर्स समीक्षा बैठकें**

पीएमईजीपी एक बैंक-संचालित योजना है और परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति और ऋण का संवितरण संबंधित बैंक के स्तर पर ही किया जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां नियमित रूप से जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर, बैंक के उच्चतर अधिकारियों से चर्चा करती रहें ताकि यह यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कार्यान्वयन में कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जाए, परिणाम प्रभावी तरीके से प्राप्त किए जाएं, लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। बैंकर समीक्षा बैठकें निम्नलिखित स्तरों पर निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी:

(i) **राज्य स्तरीय बैंकर बैठक:** इस बैठक का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय और मंडलीय कार्यालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अग्रणी जिला प्रबंधक स्तर पर बैंक अधिकारियों को पीएमईजीपी के बारे जानकारी देना और शिक्षित करना और साथ ही योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करना होगा। यह बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी

(ii) **आंचलिक समीक्षा बैठक**: पीएमईजीपी की समीक्षा और निगरानी के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग 6 अंचलों में त्रैमासिक आंचलिक समीक्षा करेगा जिनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि समीक्षा में भाग लेंगे। संबंधित बैंक अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएँगे।

(iii) **शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठकः** खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रत्येक छमाही में (जून और दिसंबर में) शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक आयोजित करेगा ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ में और अंत होने के थोड़ा पहले समुचित निगरानी की जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/वरिष्ठ कार्यकारी, एमएसएमई मंत्रालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों,जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि राष्ट्र स्तरीय बैंकर बैठक में भाग लेंगे जिसकी अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगी। सभी राज्य और संघ-शासित क्षेत्र दो समूहों में आमंत्रित किए जाएँगे और खादी और ग्रामोद्योग आयोग सुनिश्चित करेगा कि इन छमाही समीक्षा बैठकों में से प्रत्येक में लगभग आधे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों (खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों) के प्रतिनिधि भाग लें। बैठक में लक्ष्यों की समीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और पीएमईजीपी के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से जुड़े मुद्दों की जाँच की जाएगी।

20. पीएमईजीपी के अंतर्गत उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण

सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, बैंकों और संबंधित अभिकरणों के कर्मचारियों और अधिकारियों को पीएमईजीपी कार्यक्रम के परिचालनात्मक पद्धति की जानकारी देनी होगी, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य/जिला स्तर पर देश भर में आयोजित किए जाने वाले 'एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं' में दिया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेंसियां, जहाँ भी संभव हो, संयुक्त रूप से ऐसी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन इस उद्देश्य हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के आधार पर कर सकती हैं।

21. **कर्मचारियों और अधिकारियों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता**

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी पीएमईजीपी के प्रासंगिक क्षेत्र का दौरा और निगरानी गतिविधियों को अंजाम देंगे। पीएमईजीपी की निगरानी और समीक्षा हेतु स्टाफ और अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए प्रतिवर्ष रु.1 करोड़ या जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें लेखन सामग्री, प्रलेखीकरण, आकस्मिक व्यय जैसे प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, इस सहायता के इष्टतम उपयोग और व्यय में मितव्ययिता को सुनिश्चित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अलग से दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसमें व्यय के प्रमाणन के तौर-तरीकों, और फील्ड दौरों से संबंधित मानदंडों का समावेश होगा।

22. प्रचार और संवर्धन गतिविधियां

22.1 पीएमईजीपी को पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंगों, रेडियो जिंगल, टेलीविज़न संदेशों, राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों में विज्ञापनों, सोशल मीडिया और अन्य संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा अति महत्वपूर्ण और गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए पीएमईजीपी से संबंधित कार्यक्रमों सहित जोर-शोर से प्रचार अभियानों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, जिसमें भी आमंत्रित किया जाएगा।

22.2 पीएमईजीपी के लिए विज्ञापन जारी करना/प्रचार करना

विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में जारी/प्रकाशित किए जाएँगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए चौथाई पृष्ठ के और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए आधे पृष्ठ के विज्ञापन जारी किए जाएँगे। पीएमईजीपी के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार और संवर्धनात्मक गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त राशि आवंटित की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रयासों का अधिकतम समन्वय और सहक्रियता सुनिश्चित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस तरह के निधियों का 25% तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए योजना के विज्ञापन जारी करने / प्रचार के लिए निर्धारित किया जाए।

23. प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) पैकेज, आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली, ई-पोर्टल और अन्य सहायता पैकेज

23.1 योजना की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम लाभार्थियों के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के डेटाबेस को भी प्रलेखित किया जाना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक पृथक पीएमईजीपी वेबसाइट विकसित की गई है, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी देते हुए सूलमउ मंत्रालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों, अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों, एनआईसी और बैंकों के साथ सभी प्रासंगिक लिंकेज शामिल हैं।

पीएमईजीपी वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, जिसमें शामिल हैं

i. लाभार्थियों द्वारा आवेदन की तिथि
ii. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अग्रेषित करने की तिथि
iii. बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों की स्वीकृति
iv. लाभार्थियों को बैंकों से ऋण की किस्त जारी करना
v. बैंकों द्वारा दावा की गई मार्जिन मनी जमा करना

vi. नोडल बैंक द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी जारी करना और भौतिक सत्यापन आदि के बाद मार्जिन मनी का समायोजन।

योजना के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी और कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए आवश्यक प्रावधानों को आगे पोर्टल में शामिल किया जाएगा। इनमें शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं -

i. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रक्रियागत करने में और बैंकों द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने में लगने वाला समय

ii. ऋण स्वीकृत होने के पश्चात लाभार्थियों को ऋण की किस्त समय पर जारी करना

iii. अस्वीकृति के कारण

iv. लाभार्थी के खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी समायोजन आदि में विलम्ब।

पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग की परियोजना की तैयारी के लिए ग्रामीण औद्योगिक परामर्श सेवा (आरआईसीएस) के सॉफ्टवेयर पैकेज को पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाएँ तैयार करने में संभावित लाभार्थियों को सहयोग देने हेतु देश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रयोजन से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उपयोग के लिए फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत पृथक प्रावधान उपलब्ध है।

23.2 केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से उचित दस्तावेज आदि सुनिश्चित करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए निधि के उपयोग के संबंध में और दिशानिर्देश जारी करेगा। इस संबंध में व्यय का उचित लेखा का रखरखाव राज्य/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/जिला उद्योग केंद्र/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और केवीआईसी द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

24.

24.1 पीएमईजीपी **के अंतर्गत प्रस्तावित अनुमानित लक्ष्य**

(i) पीएमईजीपी के लिए पांच वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए रु.13,554.42 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रति यूनिट 8 व्यक्तियों की दर से 30 लाख रोजगार सृजन के साथ लगभग 4 लाख परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1,000 इकाइयों का उन्नयन किया जाएगा।

(ii) प्रारम्भ में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय,खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र 30:30:40 के अनुपात में इस योजना को कार्यान्वित कर रहे थे। तथापि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होने से आवेदन प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं रह गई है अतः 30:30: 40अनुपात की कोई प्रासंगिकता नहीं है। सभी संबन्धित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग में "पहले आओ पहले पाओ" की अवधारणा का पालन किया जाएगा और 30:30:40 के अनुपात को समाप्त किया जाएगा।

(iii) केवीआईसी मुख्यालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यवार वार्षिक लक्ष्य आबंटित किए जा सकेंगे। केवीआईसी और कार्यान्वयन एजेंसियों को संप्रेषित लक्ष्यांक सांकेतिक हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंक आवंटित लक्ष्यांक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं।

24.2 पीएमईजीपी **के अंतर्गत लक्ष्यों के वितरण के मानदंड**

राज्यवार लक्ष्यों के वितरण के सुझाए गए विस्तृत मानदंड निम्नानुसार हैं :

i. राज्य के पिछड़ेपन का स्तर;

ii. बेरोजगारी का स्तर;

iii. पिछले वर्षों के लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्तर;

iv. राज्य/संघशासित क्षेत्र की जनसंख्या; और

v. परंपरागत कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता।
vi. नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

24.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य केवीआईसी निदेशालयों/ खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपेगा। जिला स्तर पर लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति तय करेगी। एसएलबीसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में लक्ष्यों का समान वितरण हो। केवीआईसी/ खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्र/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में राज्यवार लक्ष्यों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ जिलावार लक्ष्यों के समग्र आवंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लक्ष्यों में कोई संशोधन, जिसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा, केवल मंत्रालय की सहमति से ही किया जाएगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग निदेशालयों/ खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्र/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सब्सिडी के सांकेतिक लक्ष्यों और अन्य मानदंड (इकाइयों की संख्या, रोजगार के अवसर आदि) सौंपने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग लक्ष्य निर्धारित करने हेतु राज्य की ग्रामीण आबादी, राज्य के पिछड़ेपन (नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के आधार पर), शहरी बेरोजगारी स्तर और पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्व कार्यनिष्पादन को मानदंड बनाएगा।

25. बीमार इकाइयों का पुनरुद्धार

पीएमईजीपी के अंतर्गत बीमार इकाइयों को उनके पुनरुद्धार हेतु समय-समय पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी बीमार लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों से जोड़ा जाएगा।

26. पंजीकरण

(क) **इकाई का पंजीकरण:** योजना के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग/ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/राज्य जिला उद्योग केंद्र के साथ **पंजीकरण** स्वैच्छिक है। हालांकि, सभी पीएमईजीपी इकाइयों को उद्यम पोर्टल और एमएसएमई डेटा बैंक के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लाभार्थियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा और बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग प्रलेखीकरण लागत आदि के व्यय को पूरा करने में किया जाएगा।
लाभार्थी उत्पादन, बिक्री, रोजगार, मजदूरी के भुगतान आदि के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड /राज्य जिला उद्योग केंद्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और खादी और ग्रामोद्योग आयोग उनका विश्लेषण करेगा और प्रत्येक छमाही में एक समेकित प्रतिवेदन सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।
(ख) इकाइयों की जियो टैगिंग: पहले से स्थापित सभी सूक्ष्म उद्यमों तथा पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली इकाइयों की जियो टैगिंग की जाएगी, जो इकाइयों के साथ संपर्क बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी।

27. पीएमईजीपी के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र के बैंकों (अनुसूचित, वाणिज्यिक/सहकारी) की भूमिका

पीएमईजीपी को आरबीआई द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से भी इच्छुक बैंकों की पिछले 3 वर्षों की तुलन पत्रों के सत्यापन और केवीआईसी द्वारा उधार पोर्टफोलियो की मात्रा का पता लगाने के बाद, जो इन सभी बैंकों को पीएमईजीपी पोर्टल पर चित्रित करेगा, कार्यान्वित किया जाएगा।

केवीआईसी द्वारा बैंकों को वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) के हिस्से का भुगतान किया जाएगा।

28. पीएमईजीपी की निगरानी और मूल्यांकन

28.1 सूलमउ मंत्रालय की भूमिका

योजना के कार्यान्वयन के लिए सूलमउ मंत्रालय नियंत्रक और निगरानी अभिकरण होगा। वह लक्ष्य आबंटित करेगा, और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अपेक्षित निधि की मंजूरी देगा और उसे जारी करेगा। मंत्रालय में

पीएमईजीपी के कार्यनिष्पादन के बारे में तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएँगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रधान सचिव/आयुक्त (उद्योग), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के प्रतिनिधि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेंगे ।

28.2 **खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका**

(i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण होगा. खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रति माह राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों के साथ कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेंगी और मंत्रालय को मासिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में आवंटित मार्जिन (सब्सिडी) की राशि, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं को दर्शाते हुए लाभार्थियों का घटक-वार विवरण दिया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आदि के लिए अनुमोदित उप-घटक के अनुसार मार्जिन राशि (सब्सिडी) का उपयोग किया जा रहा है। लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी अंचल, राज्य और जिला स्तरों पर भी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशकों और संबंधित राज्यों के आयुक्त/उद्योग सचिव (डीआईसी) द्वारा भी की जाएगी, विद्यमान ग्रारोसृका इकाइयों की निगरानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ही की जाएगी, जैसा कि अब तक होता रहा है, और अलग मासिक प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) कयर बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कयर इकाइयों की मॉनिटरिंग करेगा। बोर्ड नियमित तौर पर ऐसे इकाइयों की समीक्षा करेगा और केवीआईसी को मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

28.3 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की भूमिका

राज्य के मुख्य सचिव द्वारा योजना की छमाही समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूलमउ मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य निदेशक (खादी और ग्रामोद्योग आयोग), खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य के सचिव / आयुक्त (उद्योग), बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। राज्य सरकारें {आयुक्त/ सचिव (उद्योग)} आवंटित मार्जिन (सब्सिडी) की राशि, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं को दर्शाते हुए लाभार्थियों का घटक-वार विवरण विशेष रूप से वर्णित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अपना मासिक प्रतिवेदन प्रेषित करेंगी, जिसका खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विश्लेषण, संकलन और समेकन किया जाएगा और एक समग्र रिपोर्ट प्रतिमाह मंत्रालय को भेजा जाएगा। विद्यमान पीएमआरवाई इकाइयों की निगरानी राज्य जिला उद्योग केंद्रों द्वारा अब तक की ही तरह किया जाता रहेगा, जिसके संबंध में प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को भेजा जाएगा।

29. योजना का मूल्यांकन

(i) वर्तमान फाइनेंस कमीशन साइकल में इसके कार्यान्वयन के तीन वर्षों के उपरांत योजना का एक व्यापक, स्वतंत्र और गहन मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आगे जारी रखने के लिए योजना की समीक्षा की जाएगी।

(ii) **समवर्ती मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन:** प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पीएमईजीपी का एक समवर्ती मॉनिटरिंग और मूल्यांकन (सीएमई) किया जाएगा जिससे की फीडबैक प्राप्त कर उनमें सुधार किया जा सके। यह एक दो-तरफा प्रक्रिया होगी, कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नोडल अधिकारी प्रत्येक तिमाही में इकाइयों दौरा करेंगे, और आवश्यक प्रारंभिक सहायता प्रदान करेंगे, साथ ही फीडबैक भी प्राप्त करेंगे, दूसरा किसी तीसरे पक्ष द्वारा इकाइयों का लगातार मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जारी रहेगा जो समय समय पर सुधारात्मक कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक फीडबैक उपलब्ध कराएंगे।

(iii) मौजूदा निर्देशों के अनुसार पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और सुधार के लिए मंत्रालय और केवीआईसी मुख्यालय में पीएमयू स्थापित किया जाए।

30. गतिविधियों की नकारात्मक सूची

सूक्ष्म उद्यमों/ परियोजनाओं/ इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी:

(i) मांस/मीट (वध करके तैयार किया हुआ) से जुड़ा कोई उद्योग/व्यवसाय अर्थात् प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी या माँसाहारी खाद्य पदार्थ परोसना, बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन/विनिर्माण और बिक्री; कोई ऐसा होटल या ढाबा या बिक्री केंद्र जहाँ शराब, कच्चे माल के रूप में तंबाकू तैयार/उत्पादन करना, बिक्री हेतु ताड़ी निकालने की अनुमति नहीं होगी।

(क) तथापि, होटल/ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने की अनुमति होगी।

(ii) पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकारियों द्वारा निषिद्ध गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

(iii) 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथिन की थैलियों का विनिर्माण और खाद्य पदार्थों को ले जाने, वितरण करने भंडारण हेतु पुनःचक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर और कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है। पॉलीथिन कैरी बैग की मोटाई समय-समय पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और संशोधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना द्वारा शासित होगी।

(iv) चाय, कॉफी, रबर आदि जैसी फसलों/बागानों की खेती से जुड़े कोई उद्योग/ व्यापार; रेशमपालन (ककूनपालन); बागवानी; फूलों की खेती, पशुपालन की अनुमति नहीं होगी।

(क) हालांकि, पीएमईजीपी के अंतर्गत इनके अधीन मूल्यवर्धन की अनुमति होगी। रेशमपालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि के संबंध में ऑफ फार्म / फार्म से जुड़ी गतिविधियों को भी अनुमति दी जाएगी।

पशुपालन से जुड़े निम्नलिखित उद्योगों/व्यवसायों को भी अनुमति दी जाएगी:

(क) डेयरी - दूध और अन्य डेयरी उत्पाद मुख्य रूप से गायों के माध्यम से, लेकिन भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस, घोड़े और गधों के माध्यम से भी।

(ख) मुर्गीपालन- मुर्गीपालन, जो उनके अंडे और उनके मांस के लिए रखे जाते हैं, उनमें मुर्गियां, टर्की, गीज़ और बत्तख शामिल हैं।

(ग) जलीय कृषि - यह मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियंस और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती है।

(घ) कीट - मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि सहित।

(एक विशेष मामले के रूप में सुअर पालन, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है, को भी केवल पूर्वोत्तर राज्यों में ही अनुमति दी जाए)

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की निरंतरता

संशोधित पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश

1. योजना

1.1 नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) ने कार्यालय ज्ञापन बेयरिंग संख्या पीएमईजीपी/नीति/09/2021 दिनांक 13 मई 2022 द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल के लिए विद्यमान योजना में कुछ संशोधनों के साथ पीएमईजीपी योजना को जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रेषित किया है। सहायता की मात्रा, सब्सिडी पैटर्न, पात्रता मानदंड, गतिविधियों की नकारात्मक सूची आदि सहित विस्तृत संशोधित योजना दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न है। केवीआईसी राज्य स्तर पर नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा। संबंधित राज्य के राज्य निदेशक विभिन्न बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लेने के अतिरिक्त बीएफएल के अंतर्गत योजना और गतिविधियों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए अधिकृत हैं।

1.2 विद्यमान पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन हेतु (दूसरा ऋण)

(i) एक अतिरिक्त घटक नामतः पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत स्थापित विद्यमान इकाई का विस्तार/उन्नयन किया गया है, जिसमें पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहले से स्थापित इकाइयां और टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाइयां खंड 3.2 (ii) में सभी निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा 15-20% की एक समान सब्सिडी के साथ, बैंकों के माध्यम से विनिर्माण इकाइयों के लिए रु.1.00 करोड़ तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। सेवा/ट्रेडिंग इकाइयों के लिए मात्र रु. 25 लाख तक की वित्तीय सहायता होगी।

(ii) जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक विकास, पारंपरिक कौशल/कच्चे माल की उपलब्धता आदि के आधार पर प्रत्येक जिले से लगभग 10 इकाइयों को पूरे देश से समान रूप से चुना जाएगा।

(iii) पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल में उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सरलीकृत आवेदन पत्र है।

(iv) जिला स्तरीय एजेंसियां (केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/अन्य आईए) प्रारंभिक जांच के बाद आवेदनों को वित्तीय बैंकों को अग्रेषित करेंगी, जो आर्थिक और तकनीकी दोनों तरह से परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और ऋण संबंधी निर्णय लेंगे। वित्तपोषित बैंक पीएमईजीपी इकाइयों के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी (सब्सिडी) का दावा करेंगे। मार्जिनमनी (सब्सिडी) को तीन साल के लिए टीडीआर/एसआरएफ के रूप में रखा जाएगा। टीडीआर/एसआरएफ पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और टीडीआर/एसआरएफ की संबंधित राशि के लिए संवितरित ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(v) टीडीआर/एसआरएफ को तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा भौतिक सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर 3 साल की लॉक इन अवधि पूरी होने के बाद लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में, संबंधित आईए द्वारा वित्त पोषण बैंक और तीसरे पक्ष की एजेंसियों के साथ संयुक्त सत्यापन किया जा सकता है। संबंधित आईए से मार्जिन मनी (सब्सिडी) समायोजन पत्र प्राप्त होने पर ही वित्त पोषण बैंक द्वारा मार्जिन मनी का समायोजन किया जाएगा।

पात्रता मापदंड

(i) प्रथम ऋण प्राप्त करके पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सभी विद्यमान इकाइयां अपनी इकाइयों का उन्नयन करने हेतु दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ii) आरईजीपी और मुद्रा योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सभी विद्यमान इकाइयां भी अपनी इकाइयों का उन्नयन करने हेतु पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरा ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऐसी सभी इकाइयों को संबंधित वित्तीय बैंक से स्वीकृति/मार्जिन मनी समायोजन पत्र जमा/अपलोड करना आवश्यक है।

(iii) स्वीकृति/मार्जिन मनी समायोजन पत्र के अभाव में, वित्तीय बैंक से एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि

इकाई को आरईजीपी/मुद्रा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

(iv) पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के अंतर्गत प्राप्त मार्जिन मनी (सब्सिडी) को लॉक-इन अवधि, जैसा लागू हो, के पूरा होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।

(v) पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहले ऋण को निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाना होगा। प्रथम ऋण के संबंध में बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट आवश्यक है। कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) सीसी सीमा के रूप में एक रिवाल्विंग कैपिटल है और यह गतिविधियों को चलाने के लिए निरंतर संचालन में है, ऋण क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) घटक की चुकौती को छूट दी जा सकती है।

(vi) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ कमा रही है तथा कारोबार और लाभ के मामले में आगे वृद्धि की संभावना रखती है।

2. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और विद्यमान योजना दिशानिर्देशों में अनुमोदित संशोधनों के आधार पर, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज (बीएफएल) के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न गतिविधियों के लिए परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

2.1 लाभार्थियों की पहचान

विशेष जिले को आवंटित लक्ष्य के आधार पर आवधिक अंतराल पर संभावित उद्यमियों द्वारा पीएमईजीपी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, सोशल मीडिया, जागरूकता शिविर आदि के माध्यम से किया जाएगा।

जागरूकता शिविर

संबंधित राज्य / केंद्र स्तर के संगठनों के समन्वय में विशेष / सामाजिक श्रेणी पर विशेष ध्यान देने के साथ बेरोजगार उम्मीदवारों को कार्यप्रवृत्त करने हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए पीएमईजीपी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। जागरूकता शिविरों का आयोजन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) और बैंकों के साथ गहन समन्वय से किया जाएगा। जागरूकता शिविरों के दौरान पहचाने गए संभावित लाभार्थियों को विशेषज्ञ संसाधनों/एजेंसियों के माध्यम से गतिविधियों की पहचान, डीपीआर तैयार करने, दस्तावेजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, वित्तीय बैंकों के साथ समन्वय आदि में सहायता प्रदान की जाएगी।

पीएमईजीपी के तहत जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए प्रोटोकॉल

(i) केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और कयर बोर्ड और बैंकों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ गहन समन्वय से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों और क्षमतावान प्रत्याशित लाभार्थियों वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान के अतिरिक्त जिला/तालुका/ब्लॉक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

(ii) कार्यान्वयन एजेंसियां केवीआईसी के संबंधित राज्य कार्यालयों को प्रदान किए गए बजटीय प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर ऐसे जागरूकता शिविरों का आयोजन करेंगी।

(iii) राज्य स्तर पर केवीआईसी राज्य में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और अन्य आईए को जागरूकता शिविर आवंटित करेगा जो इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित करने के इच्छुक हैं और उन्हें धन प्रदान करेगा ।

(iv) केवीआईसी के संबंधित राज्य / मंडलीय कार्यालय द्वारा 30 दिनों के भीतर डीआईसी, केवीआईबी और कयर बोर्ड के अन्य आईए द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों के लिए किए गए खर्च का निपटान किया जाएगा।

लक्षित समूह

प्रतिभागियों में मुख्य रूप से बेरोजगार युवा, विश्वविद्यालयों के छात्र, शैक्षिक संस्थान, तकनीकी संस्थान, कुशल और अकुशल कारीगर शामिल हैं, जिनमें समाज की सभी श्रेणियां शामिल हैं। जागरूकता शिविरों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर, महिला, भूतपूर्व सैनिक आदि जैसे लक्षित समूह

पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जागरूकता शिविरों के लिए आमंत्रित

(i) सभी कार्यान्वयी अभिकरण

(ii) बैंक अधिकारी

(iii) स्थानीय गैर सरकारी संगठन पंचायतों के प्रतिनिधि

(iv) सफल उद्यमी

(v) एनएसटीएफ़डीसी,एनएससीएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, महिला संगठनों, भूतपूर्व सैनिक संगठनों आदि के प्रतिनिधि।

शिविर की अवधि

4 से 6 घंटे

जागरूकता शिविरों में किए जाने वाले अनिवार्य गतिविधियों की सूची

(i) स्थानीय समाचार पत्रों में पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार अथवा समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण ।

(ii) राज्य/एजेंसियों द्वारा पीएमईजीपी योजना पर प्रस्तुतिकरण (**पीएमईजीपी निदेशालय, केवीआईसी, मुंबई द्वारा साझा किए जाने वाले मानक प्रस्तुति पैटर्न)**- कार्यान्वयी अभिकरणों को पीएमईजीपी योजना, इसके लक्ष्य और उद्देश्य, मार्जिन मनी के संवितरण के संदर्भ में योजना के योगदान, जिले से संबंधित बैंक ऋण जुटाने के बारे में बताना चाहिए।कार्यान्वयी अभिकरण अपनी भूमिका, और ग्रामीण औद्योगीकरण में अपने योगदान को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुति के दौरान योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि, अधिमानतः योजना के विवरण और इसकी संचालन प्रक्रिया सहित पावर प्वाइंट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और लगने वाले आवश्यक दस्तावेज शामिल है । कार्यान्वयी अभिकरण स्थानीय भाषा में योजना को प्रस्तुत करेंगे और संबंधित जिले के सफल उद्यमियों की सफलता की कहानियां भी दिखाएंगे।

(iii) वास्तविक पीएमईजीपी लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन (**वीडियो केंद्रीय कार्यालय द्वारा सभी राज्यों/एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा)**

(iv) लीड बैंक/क्षेत्र के स्थानीय वित्तपोषण बैंक के बैंक अधिकारियों से बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन।

(v) **प्रेस कॉन्फ्रेंस:** केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी अधिकारियों को एक सफल उद्यमी को शिविर में आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे दूसरों के साथ अपने अनुभव को साझा कर सकें।

(vi) उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल-आधारित उद्योगों और क्षेत्र के अन्य संभावित उद्योगों पर चर्चा करनी चाहिए।

(vii) जागरूकता शिविर का आयोजन करने वाले अधिकारियों को उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ शिविर में उठाई गई समस्याओं को दर्ज करने और उनके द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के लिए अलग से रजिस्टर का रखरखाव करना चाहिए । संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण स्तर पर इन रिकॉर्डस को अनुरक्षित किया जाना चाहिए। जागरूकता शिविर के पूरा होने पर, केवीआईसी के संबंधित राज्य/मंडलीय कार्यालयों द्वारा बीएफएल पोर्टल पर शिविर संबंधी विवरण को अपलोड किया जाना चाहिए।

(viii) बैंक द्वारा परियोजना को स्वीकृति दिए गए उद्यमियों को स्वीकृति पत्र का वितरण।

(ix) संभावित लाभार्थियों से प्रोफाइल, कौशल, पृष्ठभूमि, योग्यता/ अनुभव आदि जैसे डाटा को एकत्र करना।

(x) संभावित लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए प्रारंभिक सहायता।

जिला द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों की संख्या

गतिविधि	लक्ष्यांक
गैर-आकांक्षा जिला	केवीआईसी के राज्य/ मंडलीय कार्यालयों को जारी किए गए बजट आबंटन के अनुसार
आकांक्षी /कम कार्य निष्पादन वाला जिला	

वित्तीय पैटर्न (जागरूकता शिविर)

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
1	पीएमईजीपी पर प्रचार सामग्री की छपाई	7500.00
2	स्थानीय विज्ञापन	7500.00
3	वाहन	1500.00
4	चाय/नाश्ता	4500.00
5	आकस्मिकता / स्टेशनरी	1500.00
6	हॉल / साउंड सिस्टम किराए पर लेना	6750.00
7	प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर किराए पर लेना	750.00
	कुल (कर सहित)	**30,000.00**
(नोट: - समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

2.2. **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण**

ईडीपी/कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी)/उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) या व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटी) के अंतर्गत आवेदक जो पहले से ही कम से कम 10 दिनों (ऑफलाइन मोड के लिए)/60 घंटे (ऑनलाइन मोड के लिए) का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं फिर से ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी को ऋण की स्वीकृति प्रदान करने एवं इसे जारी करने हेतु लाभार्थी द्वारा ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है । ईडीपी का उद्देश्य लाभाथयों को विभिन्न प्रबंधकीय और प्रचालनात्मक कार्यों जैसे वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग कार्यों, बही-खाते, कराधान, बीमा आदि के बारे में सुग्राही बनाना है। तथापि, ईडीपी प्रशिक्षण रु.2 लाख तक की परियोजना लागत के लिए वैकल्पिक है।

लाभार्थी के पास प्रशिक्षण के तरीके अर्थात, ऑनलाइन और ऑफलाइन का चयन करने का विकल्प है, जो निम्नानुसार है।

ऑफलाइन ईडीपी: ऑफलाइन ईडीपी प्रशिक्षण केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी, एमएसएमईडीआई, एनएसआईसी, एमएसएमई के टूल रूम, आईडीईएमआई, आरएसईटीआई/आरयूडीएसईटीआई के प्रशिक्षण केन्द्रों और केंद्र/राज्य सरकार के अन्य प्रशिक्षण केंद्रों माध्यम से आयोजित किया जाता है। राज्य/जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त ऐसे सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर मैप किया जाता है ताकि लाभार्थियों को अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण केंद्रों का चयन करने में सुविधा प्रदान की जा सके। यदि कोई प्रशिक्षण केन्द्र ऑनलाइन पोर्टल पर अतिरिक्त रूप से मैप किए जाने का इरादा रखता है, तो पोर्टल पर शामिल किए जाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केवीआईसी के संबंधित राज्य कार्यालयों के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय, केवीआईसी मुंबई को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए।

ऑनलाइन ईडीपी: लाभार्थियों द्वारा www.udyami.org.in पर जाकर ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल पंजीकरण किया जा सकता है। पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण किया जा सकता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर पोर्टल पर एक प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र जनरेट किया जाएगा। इसके, ऑनलाइन ईडीपी के अलावा लाभार्थी सांविधिक पंजीकरण और विभिन्न अनुदान, प्रोत्साहन आदि के लिए परियोजना रिपोर्ट, औद्योगिक वृत्तचित्र, विशेषज्ञ एपिसोड, मार्गदर्शन डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण का चयन करने हेतु प्रक्रिया

i. पीएमईजीपी पोर्टल पर आवेदन जमा करते समय, आवेदक ईडीपी प्रशिक्षण के तरीके का चयन करेगा ।

i. प्रशिक्षण के तरीके का चयन करने के बाद, आवेदक या तो पूर्व-मंजूरी ईडीपी या मंजूरी प्राप्त करने के बाद ईडीपी का विकल्प चुन सकता है और बाद में अपनी पसंद के पास के प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर सकता है संभावित लाभार्थी जिनके ऋण को बैंक द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, वे अपनी लागत पर ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त कर

सकते हैं और बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें फिर से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. जिन लाभार्थियों ने पहले से ही पंजीकरण किया है और जो ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रशिक्षण के तरीके को नहीं बदल सकते हैं ।

iii. आवेदक जिन्होंने पूर्व और मंजूरी प्राप्त करने के बाद ईडीपी का विकल्प चुना है उनसे संबंधित विवरण प्रशिक्षण केंद्रों, राज्य कार्यालयों, बैंकों और केंद्रीय कार्यालय के लॉग-इन के अंतर्गत उपलब्ध होगा ।

iv. नोडल अधिकारी पीएमईजीपी, लंबित ईडीपी प्रशिक्षण को कम करने के लिए अपने लॉगिन पर उपलब्ध एमआईएस के माध्यम से ऑफ़लाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे ।

v. पीएमईजीपी पोर्टल पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और उचित सत्यापन अपलोड करने के बाद ही प्रशिक्षण केंद्रों/ एजेंसी को ऑफ़लाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए ।

vi. ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण के लिए, एजेंसी उन लाभार्थियों की सूची के साथ चालान अपलोड करेगी जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, राज्य / मंडलीय कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यान्वयी अभिकरणों द्वारा प्रायोजित सभी लाभार्थियों के संबंध में भुगतान को जारी करेंगे।

ईडीपी प्रशिक्षण अवधि

I **ऑफलाइन -** रु.5 लाख तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण अवधि कम से कम 5 दिन और रु.5 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए 10 दिनों का ईडीपी प्रशिक्षण होना चाहिए।

ii. **ऑनलाइन -** रु.5 लाख तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 30 घंटे और रु.5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए 60 घंटे का ईडीपी प्रशिक्षण होना चाहिए।

iii. रु. 2 लाख तक की परियोजना लागत के लिए ईडीपी प्रशिक्षण वैकल्पिक है।

बैच का आकार

(i) ऑफलाइन/वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए बैच का आकार कम से कम 10 लाभार्थी और अधिकतम 50 लाभार्थी होना चाहिए।

(ii) ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कोई बैच आकार नहीं है।

वित्तीय पैटर्न (ऑफ़लाइन ईडीपी)

ईडीपी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एक औसत लागत जो नीचे दिखाए गए अनुसार प्रति दिन प्रति उम्मीदवार रु.550/- लिया गया है। केवीआईसी को 10 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति उम्मीदवार प्रतिदिन रु.550/- (केवल पांच सौ पचास रुपये) की राशि का भुगतान करना होगा। प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा दावा की जाने वाली राशि प्रशिक्षण दिनों की सं. और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की वास्तविक सं. के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 5 दिनों/10 दिनों के प्रशिक्षण के लिए प्रति उम्मीदवार अनुमत कुल व्यय का विवरण नीचे दिखाया गया है-

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	**व्यय संबंधी मद**	**5 दिनों के लिए राशि / उम्मीदवार**	**10 दिनों के लिए राशि / उम्मीदवार**
1	प्रतिभागियों का आवास	800	1600
2	बोर्डिंग	1150	2300
3	अतिथि सुविधा	650	1300

4	अध्ययन सामग्री	250	500
5	स्टेशनरी/मुद्रण आदि	150	300
6	विविध व्यय	100	200
7	संस्थान को प्रोत्साहन	150	300
	कुल (कर सहित)	**3250**	**6500**
(नोटः - समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)			

वित्तीय पैटर्न (ऑनलाइन ईडीपी)

केवीआईसी, केंद्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण अभिकरण के बीच हुए समझौते के अनुसार ऑनलाइन ईडीपी के लिए शुल्क इस प्रकार होगा।

क्र.सं.	विवरण	मूल दर	कर	कुल दर (रुपये में)
1	रु.5 लाख तक की परियोजना लागत के लिए 30 घंटे की प्रशिक्षण अवधि	1500	270	**1770**
2	रु.5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए 60 घंटे की प्रशिक्षण अवधि	3000	540	**3540**

नोट: उपरोक्त दरें केवीआईसी और एजेंसी के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार हैं जिन्हें अनुबंध की शर्तों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

पेरिपेटेटिक ट्रेनिंग (पीपीटी)

कुछ क्षेत्रों में, लाभार्थी आस-पास एक प्रशिक्षण केंद्र का पता लगाने में असमर्थ हो सकते हैं। जबकि प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने पंजीकरण कराया होगा। ऐसे में पेरिपेटेटिक प्रशिक्षण केवल केवीआईसी के विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए वित्तीय पैटर्न ऑफलाइन ईडीपी प्रशिक्षण के समान होगा।

वर्चुअल क्लासरूम

वर्चुअल क्लासरूम प्रशिक्षण, केंद्रीय कार्यालय, केवीआईसी के पूर्व अनुमोदन से केवीआईसी के विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में बोर्डिंग और लॉजिंग का शुल्क नहीं लिया जा सकता है। इस मोड में प्रशिक्षित प्रति लाभार्थी ऑफ़लाइन प्रशिक्षण के 50% की दर से एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

ईडीपी प्रमाण पत्र

नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार, ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केंद्र और राज्य / मंडलीय निदेशक (केवीआईसी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अधिमानतः पीएमईजीपी नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे ।

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रमाण पत्र ऑनलाइन जेनरेट किया जाएगा और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर समाकलित किया जाएगा।

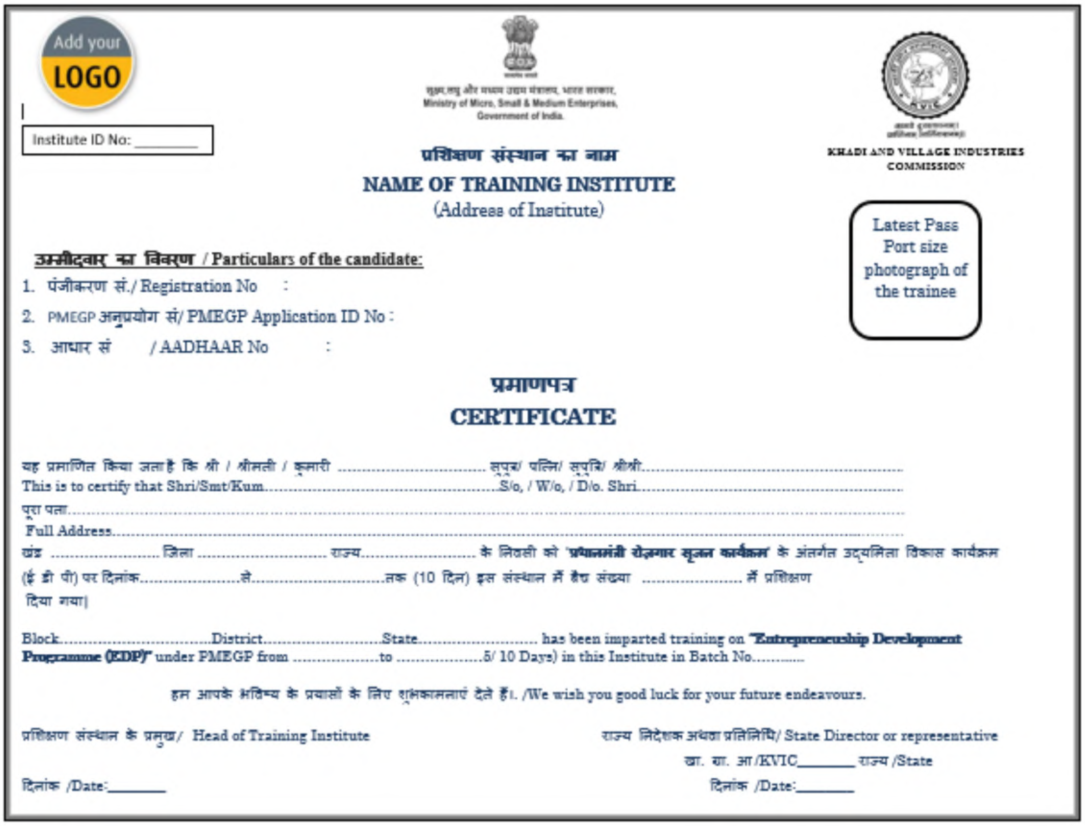

Add your LOGO

Institute ID No: ________

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises,
Government of India.

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION

प्रशिक्षण संस्थान का नाम
NAME OF TRAINING INSTITUTE
(Address of Institute)

Latest Pass Port size photograph of the trainee

उम्मीदवार का विवरण / Particulars of the candidate:

1. पंजीकरण सं./ Registration No :
2. PMEGP अनुप्रयोग सं/ PMEGP Application ID No :
3. आधार सं / AADHAAR No :

प्रमाणपत्र
CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... सुपुत्र/ पत्नि/ सुपुत्रि/ श्रीश्री...
This is to certify that Shri/Smt/Kum..S/o, / W/o, / D/o. Shri...
पूरा पता...
Full Address...
खंड .... जिला .... राज्य....................... के निवासी को 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी) पर दिनांक....................से.........................तक (10 दिन) इस संस्थान में बैच संख्या .... में प्रशिक्षण दिया गया|

Block..............................District.........................State........................ has been imparted training on "Entrepreneurship Development Programme (EDP)" under PMEGP from ....to ....5/ 10 Days) in this Institute in Batch No...........

हम आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।. /We wish you good luck for your future endeavours.

प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख/ Head of Training Institute

दिनांक /Date:_______

राज्य निदेशक अथवा प्रतिनिधि/ State Director or representative
खा. ग्रा. आ /KVIC_______ राज्य /State
दिनांक /Date:_______

नोट : उपरोक्त संलग्न प्रारूप 10 दिनों के ईडीपी प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। 5 दिनों के ईडीपी प्रशिक्षण के मामले में राज्यों द्वारा समान प्रारूप का उपयोग किया जाए।

संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पीएमईजीपी पोर्टल पर अपने लॉगिन के अंतर्गत प्रमाणपत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है।

2.3 राज्य स्तरीय कार्यशाला

राज्य स्तर की कार्यशाला का आयोजन केवीआईसी के राज्य निदेशकों द्वारा किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान, राज्य में पीएमईजीपी योजना को कार्यान्वित करने वाले सभी हितधारकों और सचिव (उद्योग), मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य केवीआईबी, एसएलबीसी संयोजक, आरबीआई, प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, कार्यान्वयी अभिकरणों के सभी नोडल अधिकारियों/जिला समन्वयकों और सफल उद्यमियों जैसे अन्य पदाधिकारियों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कार्यशाला मुख्य रूप से कार्यसूची के निम्नलिखित मदों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

i. समय-समय पर योजना में संशोधन, परिवर्तनों के बारे में जागरूक करना।

ii. राज्य में योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा और चर्चा करना।

iii. जिला स्तर के कार्य निष्पादन का विश्लेषण करना और कम कार्य निष्पादन करने वाले जिलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना।

iv. बैंकों द्वारा आवेदनों की अस्वीकृति का विश्लेषण करना और केस स्टडी के साथ सुधार के लिए कार्रवाई का सुझाव देना

v. बीएफएल के अंतर्गत सूचीबद्ध योजना और गतिविधियों के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे और चुनौतियाँ और इसका सुधारात्मक उपाय सुझाना।

vi. विपणन, पैकेजिंग, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण के संदर्भ में समर्थन देने की संभावना पर चर्चा और सिफारिश की जाएगी।

vii. सफल उद्यमियों के अनुभव साझा करने संबंधी सत्र ।
viii. संघर्षरत इकाइयों/उद्यमियों की समस्याओं को सुना जाएगा और सुझाव दिए जाएंगे ।
ix. राज्य सरकार से संभावित कंवर्जेस सपोर्ट ।
x. योजना से संबंधित राज्य में प्रचलित कोई अन्य मुद्दे ।

कार्यशाला की अवधि
4 से 6 घंटे
वित्तीय पैटर्न (राज्य स्तर की कार्यशालाएं)

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
1	हॉल, चेयर आदि किराए पर लेना	75000.00
2	साउंड सिस्टम किराए पर लेना	12500.00
3	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	62500.00
4	चाय/नाश्ता	12500.00
5	बैनर/डिस्प्ले	12500.00
6	विविध व्यय	2500.00
7	वाहन	10000.00
8	स्थानीय विज्ञापन	62500.00
	कुल (कर सहित)	2,50,000.00
(नोट : - समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

2.4. आंचलिक समीक्षा बैठकें (ज़ेडआरएम)

पीएमईजीपी योजना एक बैंक संचालित योजना है, और परियोजना की अंतिम मंजूरी और ऋण जारी करने से संबंधित कार्य बैंक के स्तर पर किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा करें। अतः निम्नलिखित स्तरों पर बैंकरों की समीक्षा बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाएगी।

i. राज्य स्तरीय बैंकरों की बैठक (क्यूबीआरएम) बैठक समीक्षा की बैंकरों तिमाही / (एसएलबीएम)
ii. आंचलिक समीक्षा बैठक (जेडआरएम)
iii. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (एसएलएमसी)

बैंकरों की बैठकों के दौरान की जाने वाली अनिवार्य गतिविधियों की सूची

क. राज्य स्तरीय बैंकरों की बैठक (एसएलबीएम)/तिमाही बैंकरों की समीक्षा बैठक (क्यूबीआरएम)

- एसएलबीएम का आयोजन केवीआईसी के राज्य कार्यालय और मंडलीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वयी अभिकरणों की भागीदारी के साथ किया जाएगा ।
- बैठक का मुख्य उद्देश्य एलडीएम स्तर पर बैंक अधिकारियों को पीएमईजीपी योजना के बारे में सूचित करना और शिक्षित करना होगा ।
- योजना के कार्यान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा करें ।

वित्तीय पैटर्न – राज्य स्तरीय बैंकरों की बैठक (क्यूबीआरएम) बैठक समीक्षा बैंक तिमाही/(एसएलबीएम)

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)

1	हॉल, चेयर आदि किराए पर लेना	15000.00
2	साउंड सिस्टम किराए पर लेना	2500.00
3	प्रस्तुति के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर किराए पर लेना	1500.00
4	चाय/नाश्ता/दोपहर का भोजन	20000.00
5	आकस्मिकता/स्टेशनरी	2000.00
6	परिवहन	2000.00
7	बैनर/डिस्प्ले	7000.00
	कुल (कर सहित)	**50,000.00**
(नोट:- समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

ख. आंचलिक समीक्षा बैठक (ज़ेडआरएम)

- सभी 6 क्षेत्रों में पीएमईजीपी योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए आंचलिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी ।
- सभी कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) समीक्षा बैठक में भाग लेंगी।
- बैठक के लिए संबंधित क्षेत्रों के संबंधित बैंक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

वित्तीय पैटर्न – आंचलिक समीक्षा बैठक (ज़ेडआरएम)

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
1	हॉल, चेयर आदि किराए पर लेना	65000.00
2	साउंड सिस्टम किराए पर लेना	15000.00
3	प्रस्तुति के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर किराए पर लेना	5000.00
4	चाय/नाश्ता/दोपहर का भोजन	50000.00
5	आकस्मिकता/स्टेशनरी	30000.00
6	परिवहन	25000.00
7	बैनर/डिस्प्ले	10000.00
	कुल (कर सहित)	**2,00,000.00**
(नोट:- समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

ग. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (एसएलएमसी)

- केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी द्वारा तिमाही में पीएमईजीपी के कार्यान्वयन संबंधी किए गए कार्य निष्पादन/उपलब्धि की अलग से समीक्षा करना। समीक्षा में, लक्ष्यांक के संबंध में कुल उपलब्धि, सामाजिक श्रेणी, उद्योग और क्षेत्रवार असंतुलन, यदि कोई हो और योजना के व्यापक प्रचार से की गई कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और असंतुलन को ठीक करने के उपाय सुझाना यदि कोई हो।
- समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पीएमईजीपी के कार्य निष्पादन की जिला सलाहकार समिति (डीसीसी)/जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, और इसे स्थायी कार्यसूची बिंदु के रूप में शामिल किया जाता है।
- केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी द्वारा बनाई गई रिपोर्टिंग प्रणाली की समीक्षा करना।
- जिला कार्यदलों द्वारा की गई सिफ़ारिशों के संबंध में बैंक द्वारा दी गई मंजूरी की समीक्षा करना।
- चयनित लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करना।

कार्य और सदस्य (एसएलएमसी)

विभाग	**पदनाम**

प्रमुख सचिव/आईडीसी, उद्योग विभाग	अध्यक्ष
उद्योग निदेशक	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , केवीआईबी	सदस्य
राज्य के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि	5 सदस्य
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
पंचायत राज विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
राज्य महिला विकास निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
राज्य में केवीआईसी के मंडलीय निदेशक	सदस्य
एसआईडीबीआई के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
नाबार्ड के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
राज्य निदेशक, केवीआईसी	सदस्य संयोजक

वित्तीय पैटर्न - राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (एसएलएमसी)

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
1	हॉल, चेयर आदि किराए पर लेना	15000.00
2	साउंड सिस्टम किराए पर लेना	2500.00
3	प्रस्तुति के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर किराए पर लेना	1500.00
4	चाय/नाश्ता/दोपहर का भोजन	20000.00
5	आकस्मिकता/स्टेशनरी	2000.00
6	परिवहन	2000.00
7	बैनर/डिस्प्ले	7000.00
	कुल (कर सहित)	**50,000.00**
(नोटः- समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

2.5 प्रदर्शनियां

पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर पीएमईजीपी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा और अन्य कार्यान्वयी अभिकरणों के समन्वय से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी कार्यक्रम से पहले ही व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। केवीएलबी/डीआईसी के माध्यम से स्थापित इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रदर्शन के लिए अलग मंडप प्रदान किए जाएंगे।

प्रदर्शनी के दौरान समग्र बजट के भीतर क्रेता-विक्रेता बैठक भी आयोजित की जानी चाहिए।

वित्तीय पैटर्न (प्रदर्शनियां)

क)राज्य स्तरीय प्रदर्शिनीः (न्यूनतम 07 दिन और 40 इकाइयाँ/लाभार्थी)

क्र.सं.	व्यय शीर्ष	राशि (रु. में)

1	स्टाल सहित हॉल किराए पर लेना (कुर्सियाँ मेज और प्रदर्शन व्यवस्था आदि सहित)	12,00,000
2	प्रदर्शनी के समय स्थानीय मीडिया, समाचार पत्र में विज्ञापन	3,00,000
3	विविध व्यय	2,00,000
4	लौजिस्टिक्स और प्रतिभागियों का आवास	3,00,000
	कुल (कर सहित)	**20,00,000**
(नोट:- समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

ख) आंचलिक स्तर की प्रदर्शनी (10 दिन और 75 इकाइयां/लाभार्थी)

क्र.सं.	**व्यय शीर्ष**	**राशि (रु. में)**
1	स्टाल सहित हॉल किराए पर लेना (कुर्सियाँ मेज और प्रदर्शन व्यवस्था आदि सहित)	24,00,000
2	प्रदर्शनी के समय स्थानीय मीडिया, समाचार पत्र में विज्ञापन	6,00,000
3	विविध व्यय	4,00,000
4	लौजिस्टिक्स और प्रतिभागियों का आवास	6,00,000
	कुल (कर सहित)	**40,00,000**
(नोट:- समग्र आवंटन के भीतर एक मद से दूसरे मद में व्यय की अदला-बदली की अनुमति है)		

ग) राष्ट्रीय स्तरीय/विशेष प्रदर्शनियां

क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग के आधार पर विपणन निदेशालय के मौजूदा वित्तीय पैटर्न के अनुसार राष्ट्रीय स्तर और विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। आईआईटीएफ की भागीदारी को भी राष्ट्रीय/विशेष प्रदर्शनियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

2.6 भौतिक सत्यापन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमईजीपी के अंतर्गत सभी इकाइयों की स्थापना के लिए 100% भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। पीवी प्रक्रिया, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित लॉक इन अवधि के भीतर पीएमईजीपी इकाइयों को दी गई एमएम सब्सिडी के समायोजन में सुविधा प्रदान करती है।

केवीआईसी के राज्य निदेशक 30 जून, 2016 तक पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों के संबंध में पीवी प्रक्रिया को आयोजित और इसे पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। अधिकांश राज्य निदेशकों ने पीवी प्रक्रिया को आयोजित और इसे पूरा कर लिया है और केवीआईसी मुंबई को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, लगभग 30,000-40,000 इकाइयों का कुछ बैकलॉग है जिन्हें 30 जून, 2016 तक सहायता प्राप्त इकाइयों के लंबित पीवी को पूरा करने के लिए सत्यापित किया जाना है। राज्य निदेशक पीवी रिपोर्ट का मूल्यांकन करने और इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य निदेशकों द्वारा प्राप्त पीवी रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित वित्तपोषण बैंकों से मार्जिन मनी वापस प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

केवीआईसी, मुंबई ने 1 जुलाई 2016 से सहायता प्राप्त इकाइयों के लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग के साथ पीवी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक तृतीय-पक्ष एजेंसी को नियुक्त किया है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो-टैगिंग द्वारा पीवी प्रक्रिया का ब्यौरा इस प्रकार है।

***यह भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पहले ऋण के साथ-साथ दूसरे ऋण के लिए भी लागू होगी।**

- पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा इकाइयों के पीवी को पूरा करने के लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है।

- इस प्रयोजन के लिए चयनित एजेंसी, प्रगणकों को पीवी के लिए इकाई सौंपेगी। उन प्रगणकों की पहचान सहित उनके विवरण संबंधी सूची कार्यान्वयी अभिकरणों और बैंकों के संबंधित लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।
- केवीआईसी के राज्य निदेशक सत्यापन प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए प्रगणकों की अपनी टीम के साथ तीसरे पक्ष की एजेंसी के साथ एक बैठक बुलाएंगे।
- एजेंसी के प्रगणक या गणनाकार सत्यापन के लिए पीएमईजीपी इकाइयों का सत्यापन करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में जानकारी एकत्र करने हेतु संबंधित वित्तीय बैंकों का दौरा करेंगे। पीएमईजीपी निदेशालय, केवीआईसी भी शीघ्र ही ऑनलाइन प्रारूप के माध्यम से एक उपयुक्त मॉड्यूल विकसित करके वित्तपोषित बैंकों से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में है।
- एजेंसी द्वारा नियुक्त प्रगणक एजेंसी के परामर्श से केवीआईसी के संबंधित राज्य निदेशक द्वारा अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के आधार पर संबंधित इकाइयों के अपने दौरे को पूर्व-निर्धारित करेंगे।
- प्रगणक इकाइयों का दौरा करेंगे और मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के अनुसार सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करेंगे और पूरी जानकारी जियो पोर्टल पर अपलोड करेंगे।इकाई, उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया, लाभार्थी के साथ साइनबोर्ड की तस्वीरें और एक लघु वीडियो भी प्रगणक द्वारा जियो-टैग किया जाएगा।
- लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे सत्यापन को मंजूरी देने के लिए प्रगणक के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- पीवी रिपोर्ट संबंधित कार्यान्वयी अभिकरणों द्वारा आगे सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए डीसीओ लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध होगा।
- डीसीओ इकाइयों की व्यक्तिगत पीवी रिपोर्ट को मान्य करेगा और अपने निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक पर अनुमोदन प्राधिकारी को अपनी सिफारिश देगा।
- पूर्ण मार्जिन मनी के समायोजन के लिए सिफारिश करना।
- पूर्ण मार्जिन मनी कॉल-बैक / धनवापसी के लिए सिफारिश करना ।
- आंशिक मार्जिन मनी के समायोजन और शेष राशि वापस करने के लिए सिफ़ारिश करना ।
- इकाई के पुन: सत्यापन के लिए सिफारिश करना ।
- डीसीओ एजेंसी को बताए बिना मामूली सुधार भी कर सकता है यदि कोई हो।
- दूसरे स्तर पर अनुमोदक या तो मंजूरी दे सकता है अथवा उचित कार्रवाई के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ डीसीओ को वापस लौटा सकता है।
- पीवी रिपोर्ट को मंजूरी मिलने पर, एमएम सब्सिडी का समायोजन पत्र जनरेट और डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए समायोजन पत्र को संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण के अधिकृत अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- अपलोड किया गया समायोजन पत्र वित्तीय बैंक और लाभार्थी के संबंधित उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के अंतर्गत उनके सुलभ संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध होगा।
- वित्तपोषण बैंक निम्नलिखित के अनुसार समायोजन पत्र के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा ।
- लाभार्थी के लोन अकाउंट में पूर्ण मार्जिन मनी समायोजित करेगा ।
- आंशिक मार्जिन मनी समायोजित करेगा और ई-चालान प्रणाली के माध्यम से केवीआईसी अकाउंट में असमायोजित राशि को रिफ़ंड करेगा ।
- ई-चालान प्रणाली के माध्यम से केवीआईसी को पूरी मार्जिन मनी राशि वापस करेगा ।
- वित्तपोषण बैंक संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण से समायोजन पत्र प्राप्त होने पर ही मार्जिन मनी सब्सिडी को

समायोजित करेगा। वित्तीय बैंक 3 वर्ष के अनिवार्य लॉक-इन से पहले और साथ ही संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण से समायोजन पत्र प्राप्त हुए बिना मार्जिन मनी को समायोजित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

- वित्तपोषण करने वाले बैंकों द्वारा पहली किस्त जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पर विचार किया जाएगा।
- अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी टिप्पणी के कॉलम में उचित कारण/औचित्य दर्ज करते हुए पुन: सत्यापन के लिए अभिकरण को पीवी रिपोर्ट भी लौटा सकता है। तथापि , पुन: सत्यापन के प्रयोजन के लिए, संबंधित कार्यान्वयी अभिकरण के संबंधित डीसीओ सुगम पुन: सत्यापन और राय के टकराव से बचने के लिए अग्रिम रूप से दौरे का समय निर्धारित करके एजेंसी के प्रगणक के साथ होंगे।
- पुन: सत्यापन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है क्योंकि इकाई पहले से ही जियो-टैग की गई है। डीसीओ पुन: सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अपने लॉगिन के अंतर्गत डाटा को संपादित कर सकता है। प्रगणक और लाभार्थी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पुन: सत्यापन रिपोर्ट को डीसीओ द्वारा प्रमाण के लिए उनके लॉगिन के अंतर्गत अपलोड किया जाएगा ।

2.7. ऑनलाइन पीएमईजीपी/केवीआईसी प्रणाली पर केवीआईसी/केवीआईबी/ डीआईसी/कयर बोर्ड /बैंकों के कर्मचारियों हेतु अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यशाला

योजना के दिशा-निर्देशों में कार्यान्वयी अभिकरणों और बैंकों के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा प्रदान की गई है ताकि उन्हें क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन में संवेदनशील बनाया जा सके और साथ ही योजना में शामिल ऑनलाइन पोर्टल और अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं के परिचालन संबंधी मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। केवीआईसी के राज्य निदेशक अपने राज्य में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करेंगे और इस तरह के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु अनुमोदन और आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान संबंधी मांग पत्र पीएमईजीपी निदेशालय, केवीआईसी मुंबई को प्रेषित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के अभिविन्यास कार्यक्रम के संचालन के लिए निम्नलिखित बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम को कम से कम 4 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, जिसके लिए कुल बजटीय प्रावधान रु.1 लाख है। राज्य निदेशक अनुमोदन और स्वीकृति के लिए मद-वार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

2.8. इकाई का साइनबोर्ड

योजना के दिशा-निर्देशों के खंड 11.26, के अनुसार, इकाई के साइन बोर्ड का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यान्वयी अभिकरण और बैंकों को इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड का प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए। इकाइयों द्वारा स्थापित किया जाने वाला साइन बोर्ड द्विभाषी होना चाहिए।

डिस्प्ले बोर्ड के लिए निम्नलिखित मानक प्रारूप को अपनाया जाना चाहिए,

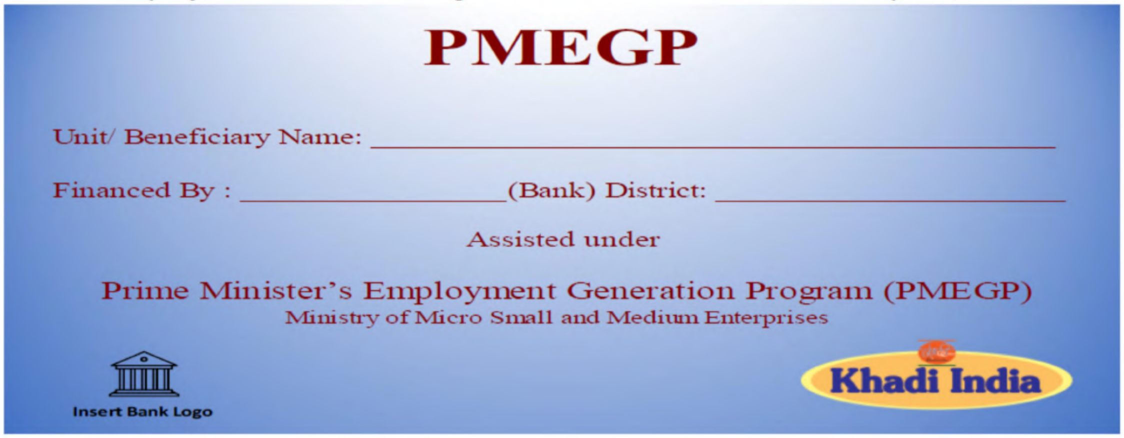

ईकाई/लाभार्थी का नाम: ---

वित्तपोषित बैंक : ---

जिला का नाम :--

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी),

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत

साइन बोर्ड के लिए न्यूनतम आकार 4 फीटX2.5 फीट होना चाहिए, बोर्ड की पृष्ठभूमि का रंग हल्का नीला होना चाहिए। साइनबोर्ड का रचनात्मक डिजाइन पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है जिसे साइन बोर्ड बनाने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

मार्जिन मनी का दावा करते समय साइन बोर्ड का फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए ।

नोट : हिन्दी संस्करण में किसी भी विसंगति की स्थिति में, संबन्धित अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा|